भारत सरकार
भारत का विधि आयोग

रिपोर्ट सं. 249

"अप्रचलित विधियां : तत्काल निरसन की आवश्यकता"
(दूसरी अंतरिम रिपोर्ट)

अक्तूबर, 2014

बीसवें विधि आयोग का गठन विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेश सं. ए-45012/1/2012-प्रशा.-III (एल.ए.) तारीख 8 अक्तूबर, 2012 द्वारा 1 सितंबर, 2012 से तीन व-र् की अवधि के लिए किया गया ।

विधि आयोग पूर्णकालिक अध्यक्ष, चार पूर्णकालिक सदस्य (सदस्य सचिव सहित), दो पदेन सदस्य और पांच अंशकालिक सदस्यों से मिलकर बना है ।

अध्यक्ष

माननीय न्यायमूर्ति ए. पी. शहा

पूर्ण कालिक सदस्य

न्यायमूर्ति एस. एन. कपूर
प्रो. (डा.) मूलचंद शर्मा
न्यायमूर्ति ऊना मेहरा
डा. एस. एस. चाहर, सदस्य सचिव

पदेन सदस्य

श्री पी. के. मल्होत्रा, सचिव (विधायी विभाग और विधि कार्य विभाग)
डा. संजय सिंह, सचिव (विधायी विभाग)

अंशकालिक सदस्य

श्री आर. वेंकटरमणी
प्रो. (डा.) योगेश त्यागी
डा. विजय नारायण मणि
प्रो. (डा.) गुरजीत सिंह

विधि आयोग
14वें तल, हिंदुस्तान टाइम्स हाउस,
के. जी. मार्ग,
नई दिल्ली - 110001 पर स्थित है ।

सदस्य सचिव

डा. एस. एस. चाहर

अनुसंधान अधिकारी

डा. (श्रीमती) पवन शर्मा	:	संयुक्त सचिव और विधि अधिकारी
श्री ए. के. उपाध्याय	:	अपर विधि अधिकारी
डा. वी. के. सिंह	:	उप विधि अधिकारी

इस रिपोर्ट का पाठ http://www.lawcommissionofindia.nic.in
इंटरनेट पर उपलब्ध है ।

© भारत सरकार
भारत का विधि आयोग

न्यायमूर्ति अजित प्रकाश शहा
भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय
अध्यक्ष
भारत का विधि आयोग
भारत सरकार
हिन्दुस्तान टाइम्स हाउस
कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली - 110001
दूरभाा : 23736758 फैक्स : 23355741

Justice Ajit Prakash Shah
Former Chief Justice of Delhi High Court
Chairman
Law Commission of India
Government of India
Hindustan Times House
K.G. Marg, New Delhi-110 001
Telephone : 23736758, Fax : 23355741

अ.शा. सं. 6(3)211/2011-एल.सी.(एल.एस.) तारीख : 13 अक्तूबर, 2014

प्रिय श्री रवि शंकर प्रसाद जी,

आपको यह स्मरण होगा कि भारत के विधि आयोग ने **"विधिक अधिनियमितियां : साधारणीकरण और सरलीकरण"** का अध्ययन करने का कार्य आरंभ किया है । इस अध्ययन के चालू रहने के दौरान, आयोग ने 12 सितंबर, 2014 की अप्रचलित विधियों पर एक अंतरिम रिपोर्ट (रिपोर्ट सं. 248) प्रस्तुत की है । कार्य को एक कदम आगे बढ़ाते हुए, आयोग ने 77 और विधियां और विश्वयुद्ध-2 के दौरान प्रख्यापित 11 स्थायी अध्यादेशों को पूरी तरह से निरसन किए जाने के लिए व्यक्तिगत सिफारिश हेतु पहचाना । इसके अतिरिक्त, 25 राज्य पुनर्गठन विधियों की आंशिक निरसन के लिए पहचाना । इस प्रकार, कुल 113 विधियों को "अप्रचलित विधियां : तत्काल निरसन की आवश्यकता" दूसरी अंतरिम रिपोर्ट "शी-र्क से रिपोर्ट सं. 249 के रूप में पहचाना गया, विश्ले-ण किया गया और एकत्रित किया गया और सरकार के विचारार्थ यहां प्रस्तुत किया जा रहा है ।

सादर,

भवदीय
ह0/-
(अजित प्रकाश शहा)

श्री रवि शंकर प्रसाद,
माननीय विधि और न्याय मंत्री,
भारत सरकार
शास्त्री भवन
नई दिल्ली - 110 001

“अप्रचलित विधियां : तत्काल निरसन की आवश्यकता”
(दूसरी अंतरिम रिपोर्ट)

वि-नय-सूची

क्र. सं.	शी-र्क	पृ-ठ
1.	प्रस्तावना	6
2.	पूर्ण निरसन के लिए सिफारिश की गई विधियां	8
3.	निरसन के लिए सिफारिश किए गए स्थायी अध्यादेश	50
4.	आंशिक निरसन के लिए सिफारिश की गई राज्य पुनर्गठन विधियां	59

अध्याय 1
प्रस्तावना

1.1 यह रिपोर्ट "विधिक अनियमितियां : साधारणीकरण और सरलीकरण" शी-र्क से विधि आयोग द्वारा आरंभ किए गए अध्ययन की दूसरी किश्त है । इस रिपोर्ट ने आगे 113 विधियों और स्थायी अध्यादेशों पर विचार किया और इनमें से 88 को थोक निरसन हेतु और शे-ा 25 के आंशिक निरसन की सिफारिश की ।

1.2 इस अध्ययन की पहली किश्त अर्थात् "अप्रचलित विधियां : तत्काल निरसन की आवश्यकता (अंतरिम रिपोर्ट)" "शी-र्क रिपोर्ट सं. 248" में 72 विधियों की अप्रचलित हो जाने के रूप में पहचान की गई और उनके तत्काल निरसन की सिफारिश की गई यदि विधि निम्नलिखित शर्तों में से एक शर्त पूरा करती है, यदि बाद वाली विधि स्प-टतः पुरानी विधि के प्रतिकूल है, यदि विधि का प्रयोजन पहले ही पूरा हो चुका है, या यदि कानून की वि-ाय वस्तु इतनी पुरानी है कि अब विधान की अपेक्षा नहीं है । इन मापमानों पर आधारित (248वीं रिपोर्ट के परिशि-ट 5 में सूचीबद्ध) निरसन के लिए प्रथम दृ-ट्या चिह्नित 261 में से 72 विधियों का अध्ययन पहली अंतरिम रिपोर्ट में पूरा हो चुका था । इस दूसरी अंतरिम रिपोर्ट ने आगे 113 विधियों का अध्ययन किया जो इन मापमानों को पूरा करती है और प्रत्येक के बारे में टिप्पण किया और सिफारिशें की ।

1.3 इस प्रकार, इस रिपोर्ट के अध्याय 2 में पूर्ण निरसन के लिए सिफारिशें की 77 विधियों का अध्ययन किया गया । अध्याय 3 में विश्वयुद्ध-2 के दौरान प्रख्यापित 11 स्थायी अध्यादेशों की विधिक स्थिति पर विचार किया गया और प्रत्येक के बारे में अलग-अलग सिफारिशें की गई । अध्याय 4 ऐसी 25 राज्य पुनर्गठन विधियों के संबंध में है जिन्हें समग्रतः निरसित नहीं किया जा सकता किंतु जो आंशिक निरसन के लिए उपयुक्त हो सकती हैं ।

1.4 यह ध्यातव्य है कि इन विधियों के निरसन की सिफारिश करते समय, विधि को निरसित करने वाला सक्षम विधानमंडल भी संविधान के अनुच्छेद 372(1) के अनुसार स्थापित किया जाए । 248वीं रिपोर्ट के अध्याय 4 में दिए गए स्प-टीकरण के अनुसार संविधान पूर्व विधियां चाहे वे केंद्र द्वारा पारित की गई हो, केंद्र द्वारा तभी

निरसित की जा सकती है यदि विधि की वि-नय-वस्तु अब संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 या 3 के अधीन आती है । जहां विधि सूची-2 की परिधि के भीतर आती है, इसे निरसन के लिए सुसंगत राज्य सरकारों को निर्दि-ट किया जाना चाहिए । तदनुसार, निरसन के लिए अध्ययन किए जाने वाले प्रत्येक विधि के अंतर्गत सक्षम विधानमंडल को उपदर्शित किया गया है ।

1.5 कानूनी साधारणीकरण और सरलीकरण की प्रक्रिया में उल्लेखनीय अतिरिक्त बिंदु सामान्य व्यक्तियों को प्रवृत्त केंद्रीय विधियों कानवीनतम सेट आसानी से उपलब्ध कराने की आवश्यकता है । तदनुसार, विधि आयोग सिफारिश करता है कि निरसित विधियां या ऐसी विधियां जो केंद्रीय विधियों की सूची से एकल राज्य द्वारा ही स्प-टतः हटाई जा सकती है, मंत्रालय के बेवसाइट पर उपलब्ध हैं । इसके अतिरिक्त, केंद्रीय विधियों की पुनरीक्षित सूची कालानुक्रमिक और विधि आयोग की 248वीं रिपोर्ट (248वीं रिपोर्ट का परिशि-ट-I) में सिफारिश वि-नय-प्रवर्ग के अनुसार प्रस्तुत की जानी चाहिए । यह सुनिश्चित करेगा कि आम जनता के ऐसे सदस्य, जो कतिपय वि-नय क्षेत्र को लागू समग्र विधियों को जानना चाहते हैं, यह जानकारी आसानी से उपलब्ध होगी - जो इस समय संभव नहीं है ।

आयोग इस रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में न्यायमूर्ति एस. एन. कपूर, सदस्य, विधि आयोग, प्रो. मूल चन्द्र शर्मा, सदस्य विधि आयोग, प्रो. योगेश त्यागी, सदस्य (अंशकालिक) विधि आयोग, श्री अर्घ्य सेन गुप्ता और सुश्री श्रीजोनी सेन, विधिक नीति के विधि केंद्र के अधिवक्ता और दो नवयुवक अनुसंधानकर्ता सुश्री रित्विका शर्मा और श्री समीर रोहतगी से मिलकर बनी उप समिति द्वारा किए गए प्रयासों को स्वीकार करता है ।

अध्याय 2

पूर्ण निरसन के लिए सिफारिश की गई विधियां

2.1 इस अध्याय में ऐसी 77 संविधि सूचीबद्ध हैं जिनकी पूर्ण निरसन की आवश्यकता है और प्रत्येक की सिफारिशें और टिप्पण दिए गए हैं :

1. बंगाल नील संविदा अधिनियम, 1836 का अधिनियम 10

प्रवर्ग : प्रशासन और स्थानीय क्षेत्रों के विकास से संबंधित विधियां

सिफारिश : सुसंगत राज्यों के परामर्श से निरसन

स्वतंत्रता के पूर्व, ब्रिटिश का नील के संपूर्ण व्यापार पर नियंत्रण था और यह अधिनियम जो गवर्नर जनरल सपरि-द् द्वारा अधिनियमित किया गया था, पूर्व बंगाल प्रांत में कृ-ाकों द्वारा इसकी खेती को प्रवृत्त कर नील की खेती पर ब्रिटिश शासन समेकित करने में सहायक रहा । यह अधिनियम अप्रचलित है और उप निवेशवाद का अवशि-ट है तथा इसे निरसित किया जाए । तथापि, अनुच्छेद 372(1) के अनुसार, इस अधिनियम के निरसन का सक्षम विधानमंडल वह राज्य है जहां अधिनियम प्रवृत्त है । अतः, केंद्रीय सरकार को निरसन की दृ-टि से राज्य द्वारा इस विधि का पुनरीक्षण करने की सिफारिश करते हुए संबद्ध राज्य सरकार को लिखना चाहिए । केंद्रीय सरकार को प्रवृत्त केंद्रीय अधिनियमों की अपनी सूची से भी इस विधि को हटाना चाहिए । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5) द्वारा इस अधिनियम के निरसन के लिए भी सिफारिश की गई है ।

2. मद्रास सार्वजनिक संपत्ति (भ्र-टाचार) अधिनियम, 1837 का अधिनियम 36

प्रवर्ग : भूमि विधियां

सिफारिश : सुसंगत राज्यों के परामर्श से निरसन

इस अधिनियम ने किसी सार्वजनिक संपत्ति के गबन या किसी सार्वजनिक

संपत्ति से संबंधित खाता अभिलेख, वाउचर या दस्तावेज के मिथ्याकरण, विनाश या छिपाव के मामलों में कलक्टर की अधिकारिता को अधीनस्थ कलक्टर और सहायक कलक्टर को विस्तारित किया । यह तमिलनाडु राज्य में प्रवृत्त है । यद्यपि स्वतंत्रता के पूर्व गवर्नर जनरल सपरि-द् द्वारा अधिनियमित किया गया था किंतु यह अब सुसंगत राज्य द्वारा प्रशासित है जिसे ही इस अधिनियम को निरसित करने या संशोधित करने की शक्ति है । अतः, केंद्रीय सरकार को इस विधि के बारे में अपनी राय देने के लिए संबद्ध राज्य सरकार को लिखना चाहिए । तत्पश्चात्, केंद्रीय सरकार को प्रवृत्त केंद्रीय अधिनियमों की अपनी सूची से इस विधि को हटा देना चाहिए । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5) द्वारा भी इस अधिनियम के निरसन की सिफारिश की गई है ।

3. मद्रास किराया और राजस्व विक्रय अधिनियम, 1839 का अधिनियम 7

प्रवर्ग : भू-राजस्व

सिफारिश : सुसंगत राज्यों के परामर्श से निरसन

यह अधिनियम किराया या राजस्व के बकाये के लिए आसोधित संपत्ति की बावत तहसीलदार की शक्तियों का अधिकथन करता है । यह तमिलनाडु राज्य में प्रवृत्त है । यद्यपि स्वतंत्रता के पूर्व गवर्नर जनरल सपरि-द् द्वारा अधिनियमित किया गया था फिर भी यह अब सुसंगत राज्य द्वारा प्रशासित है जिसे ही इस विधि को निरसित करने या संशोधित करने की शक्ति है । अतः केंद्रीय सरकार को इस विधि को निरसित करने की दृ-टि से राज्य द्वारा इस विधि का पुनरीक्षण करने की सिफारिश करते हुए संबद्ध राज्य सरकार को लिखना चाहिए । केंद्रीय सरकार को प्रवृत्त केंद्रीय अधिनियमों की अपनी सूची से इस विधि को भी हटा देना चाहिए । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5) द्वारा इस अधिनियम के निरसन की भी सिफारिश की गई है ।

4. बंगाल भू-राजस्व विक्रय अधिनियम, 1841 की अधिनियम 12

प्रवर्ग : भू-राजस्व

सिफारिश : सुसंगत राज्यों के परामर्श से निरसन

इस अधिनियम पाठ विधि मंत्रालय की बेवसाइट पर उपलब्ध नहीं है या किसी अन्य सुलभ उपलब्ध संसाधन से प्राप्य नहीं है जो यह उपदर्शित करता है कि यह उपयोग में नहीं है । न ही कोई अन्य दस्तावेजी दृ-टांत है जहां इस अधिनियम का पिछले कुछ दशकों से उपयोग हुआ हो । अतः, इस अधिनियम को निरसित किया जाए । चूंकि भू-राजस्व सातवीं अनुसूची (प्रविन्टि 45) की सूची 2 के अंतर्गत आता है इसलिए राज्य विधानमंडल इस अधिनियम के निरसन के लिए सक्षम विधानमंडल है । अतः, केंद्रीय सरकार को निरसन की दृन्टि से राज्य द्वारा इस विधि का पुनरीक्षण करने की सिफारिश करते हुए संबद्ध राज्य सरकार को लिखना चाहिए । केंद्रीय सरकार को प्रवृत्त केंद्रीय अधिनियमों की सूची से भी इस विधि को हटा देना चाहिए । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट 5) द्वारा इस अधिनियम के निरसन की भी सिफारिश की गई है ।

5. राजस्व, बम्बई, 1842 का अधिनियम 13

प्रवर्ग : भू-राजस्व

सिफारिश : सुसंगत राज्यों के परामर्श से निरसन

इस मामले में भी, अधिनियम का पाठ विधि मंत्रालय की बेवसाइट पर उपलब्ध नहीं है या किसी अन्य सुलभ उपलब्ध संसाधन से प्राप्य नहीं है जो यह उपदर्शित करता है कि यह उपयोग में नहीं है । जैसाकि पहले ही वर्णित है, चूंकि भू-राजस्व सातवीं अनुसूची की सूची 2 के अंतर्गत आता है इस अधिनियम को निरसित करने के लिए संबद्ध राज्य विधानमंडल सक्षम विधानमंडल है । अतः, केंद्रीय सरकार को निरसन की दृन्टि से राज्य द्वारा इस विधि का पुनरीक्षण करने की सिफारिश करते हुए संबद्ध राज्य सरकार को लिखना चाहिए । केंद्रीय सरकार को प्रवृत्त केंद्रीय अधिनियमों की सूची से भी इस विधि को हटा देना चाहिए । पी. सी. जैन आयोग

रिपोर्ट (परिशि-ट 5) द्वारा इस अधिनियम के निरसन की भी सिफारिश की गई है ।

6. राजस्व आयुक्त, बम्बई, 1842 का अधिनियम 17

प्रवर्ग : भू-राजस्व

सिफारिश : सुसंगत राज्यों के परामर्श से निरसन

यह ऐसी अन्य विधि है जिसका पाठ सुलभ उपलब्ध नहीं है । न ही कोई अन्य संकेत है कि अधिनियम का उपयोग होता है । तथापि, इस अधिनियम के लिए सक्षम विधानमंडल सुसंगत राज्य विधानमंडल है । अतः, केंद्रीय सरकार को निरसन की दृ-टि से राज्य द्वारा इस विधि का पुनरीक्षण करने की सिफारिश करते हुए संबद्ध राज्य सरकार को लिखना चाहिए । केंद्रीय सरकार को प्रवृत्त केंद्रीय अधिनियमों की सूची से भी इस विधि को हटा देना चाहिए । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट 5) द्वारा इस अधिनियम के निरसन की भी सिफारिश की गई है ।

7. राजस्व बकाए के लिए भूमि का विक्रय, 1845 का अधिनियम 1

प्रवर्ग : भू-राजस्व

सिफारिश : सुसंगत राज्यों के परामर्श से निरसन

यह ऐसी अन्य विधि है जिसका पाठ सुलभतः उपलब्ध नहीं है । न ही कोई अन्य संकेत है कि अधिनियम प्रयोग में है । तथापि, अनुच्छेद 372(1) के अनुसार, इस अधिनियम के निरसन के लिए सक्षम विधानमंडल वह राज्य है जहां अधिनियम प्रवृत्त है । अतः, केंद्रीय सरकार को निरसन की दृ-टि से राज्य द्वारा इस विधि का पुनरीक्षण करने की सिफारिश करते हुए संबद्ध राज्य सरकार को लिखना चाहिए । केंद्रीय सरकार को प्रवृत्त केंद्रीय अधिनियमों की सूची से भी इस विधि को हटा देना चाहिए । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट 5) द्वारा इस अधिनियम के निरसन की भी सिफारिश की गई है ।

8. सीमा चिह्न, बम्बई, 1846 का अधिनियम 3

प्रवर्ग : भू-राजस्व

सिफारिश : सुसंगत राज्यों के परामर्श से निरसन

यह ऐसी अन्य विधि है जिसका पाठ सुलभतः उपलब्ध नहीं है । न ही कोई अन्य संकेत है कि अधिनियम प्रयोग में है । तथापि, अनुच्छेद 372(1) के अनुसार, इस अधिनियम के निरसन के लिए सक्षम विधानमंडल वह राज्य है जहां अधिनियम प्रवृत्त है । अतः, केंद्रीय सरकार को निरसन की दृ‍ष्टि से राज्य द्वारा इस विधि का पुनरीक्षण करने की सिफारिश करते हुए संबद्ध राज्य सरकार को लिखना चाहिए । केंद्रीय सरकार को प्रवृत्त केंद्रीय अधिनियमों की सूची से भी इस विधि को हटा देना चाहिए । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट 5) द्वारा इस अधिनियम के निरसन की भी सिफारिश की गई है ।

9. बंगाल जलोदक और अजलोढक अधिनियम, 1847 का अधिनियम 9

प्रवर्ग : भू-राजस्व

सिफारिश : विधि मंत्रालय की केंद्रीय अधिनियमों की सूची से हटाएं

अधिनियम बंगाल, बिहार या उड़ीसा (जैसा वे उस समय थे) के प्रांतों के भीतर जलोढ़ द्वारा समुद्र या नदी से प्राप्त भूमि के निर्धारण की प्रक्रिया अधिकथित करता है । इस अधिनियम को पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार अधिनियम, 1955 की धारा 59 द्वारा पश्चिमी बंगाल के संदर्भ में निरसित किया गया है । उड़ीसा सरकार द्वारा भी अधिनियम को निरसित किया गया है । तथापि, यह अब भी बिहार राज्य में प्रवृत्त है । अतः, केंद्रीय सरकार को निरसन की दृ‍ष्टि से राज्य द्वारा इस विधि के पुनरीक्षण की सिफारिश करते हुए संबद्ध राज्य सरकार को लिखना चाहिए । केंद्रीय सरकार को प्रवृत्त केंद्रीय अधिनियमों की अपनी सूची से इस विधि को हटाना चाहिए ।

10. म्रदास राजस्व आयुक्त अधिनियम, 1849 का अधिनियम 10

प्रवर्ग : भू-राजस्व

सिफारिश : सुसंगत राज्यों के परामर्श से निरसन

यह अधिनियम फोर्ट सेन्ट जार्ज सपरि-द् के गवर्नर को राजस्व बोर्ड के एक सदस्य को मद्रास के प्रेसीडेंसी के जिलों के लिए राजस्व आयुक्त प्रतिनियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है । यद्यपि यह स्वतंत्रता पूर्व गवर्नर जनरल सपरि-द् द्वारा अधिनियमित किया गया था । यह ऐसे सुसंगत राज्य द्वारा प्रशासित हैं जिसे इस विधि को निरसित या संशोधित करने की शक्ति है । अतः, केंद्रीय सरकार को निरसन की दृ-टि से राज्य द्वारा इस विधि का पुनरीक्षण करने की सिफारिश करते हुए संबद्ध राज्य सरकार को लिखना चाहिए । केंद्रीय सरकार को प्रवृत्त केंद्रीय अधिनियमों की सूची से भी इस विधि को हटा देना चाहिए । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट 5) द्वारा इस अधिनियम के निरसन की भी सिफारिश की गई है ।

11. कलकत्ता भू-राजस्व अधिनियम, 1850 का अधिनियम 23

प्रवर्ग : भू-राजस्व

सिफारिश : सुसंगत राज्यों के परामर्श से निरसन

अधिनियम कलकत्ता के भीतर भारत सरकार को प्रोद्भूत राजस्व को सुनिश्चित करने और संग्रहण करने की प्रक्रिया विहित करता है । यद्यपि यह स्वतंत्रता पूर्व गवर्नर जनरल सपरि-द् द्वारा अधिनियमित किया गया था । यह ऐसे सुसंगत राज्य द्वारा प्रशासित हैं जिसे इस विधि को निरसित या संशोधित करने की शक्ति है । अतः, केंद्रीय सरकार को निरसन की दृ-टि से राज्य द्वारा इस विधि का पुनरीक्षण करने की सिफारिश करते हुए संबद्ध राज्य सरकार को लिखना चाहिए । केंद्रीय सरकार को प्रवृत्त केंद्रीय अधिनियमों की सूची से भी इस विधि को हटा देना चाहिए । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट 5) द्वारा इस अधिनियम के

निरसन की भी सिफारिश की गई है ।

12. शहरों में सुधार अधिनियम, 1850 का अधिनियम 26

प्रवर्ग : प्रशासन और स्थानीय क्षेत्रों के विकास से संबंधित विधियां

सिफारिश : सुसंगत राज्यों के परामर्श से निरसन

यह अधिनियम प्रांतीय सरकारों को शहर के उपताप के निवारण या सुधार के लिए किसी सार्वजनिक सड़क, नाली या टैंक का निर्माण करने, मरम्मत करने, साफ करने, प्रदीप्त करने या जल भरने का उपबंध करने के लिए प्राधिकृत करता है । संबद्ध राज्यों के नगरपालिक विनियम और शहरी स्थानीय निकाय पूर्णतः इन मामलों के बारे में ही है । तथापि, अनुच्छेद 372(1) के अनुसार, इस अधिनियम को निरसित करने का सक्षम विधानमंडल उस राज्य का विधानमंडल है जहां अधिनियम प्रवृत्त है ('स्थानीय सरकार' सातवीं अनुसूची की सूची 2 के मद सं.-5 पर है) । अतः, केंद्रीय सरकार को निरसन की दृ-टि से राज्य द्वारा इस विधि का पुनरीक्षण करने की सिफारिश करते हुए संबद्ध राज्य सरकार को लिखना चाहिए । केंद्रीय सरकार को प्रवृत्त केंद्रीय अधिनियमों की सूची से भी इस विधि को हटा देना चाहिए । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट 5) द्वारा इस अधिनियम के निरसन की भी सिफारिश की गई है ।

13. मद्रास शहर भू-राजस्व अधिनियम, 1851 का अधिनियम 12

प्रवर्ग : भू राजस्व

सिफारिश : सुसंगत राज्यों के परामर्श से निरसन

यह अधिनियम मद्रास उच्च न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर आने वाले राज्यक्षेत्रों में राजस्व संग्रहण करने की प्रक्रिया अधिकथित करता है । यद्यपि यह स्वतंत्रता पूर्व गवर्नर जनरल सपरि-द् द्वारा अधिनियमित था, यह अब उस सुसंगत राज्य द्वारा प्रशासित है जिसे इस विधि को निरसित या

संशोधित करने की शक्ति है । अतः, केंद्रीय सरकार को निरसन की दृ‍ि से राज्य द्वारा इस विधि का पुनरीक्षण करने की सिफारिश करते हुए संबद्ध राज्य सरकार को लिखना चाहिए । केंद्रीय सरकार को प्रवृत्त केंद्रीय अधिनियमों की सूची से भी इस विधि को हटा देना चाहिए । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि‍-ट 5) द्वारा इस अधिनियम के निरसन की भी सिफारिश की गई है ।

14. बम्बई किराया मुक्त संपदा अधिनियम, 1852 का अधिनियम 11

प्रवर्ग : भूमि विधियां

सिफारिश : सुसंगत राज्यों के परामर्श से निरसन

अधिनियम का अधिनियमन दक्खन, खान्डेश और दक्षिणी मराठा देश और बम्बई प्रेसीडेंसी से संलग्न कतिपय अन्य जिलों के राज्यक्षेत्रों में कतिपय संपदाओं के हक के न्यायनिर्णयन का उपबंध करने के लिए किया गया था । यद्यपि यह स्वतंत्रता पूर्व गवर्नर जनरल सपरि‍-द् द्वारा अधिनियमित था, यह अब उस सुसंगत राज्य द्वारा प्रशासित है जिसे इस विधि को निरसित या संशोधित करने की शक्ति है । अतः, केंद्रीय सरकार को निरसन की दृ‍ि से राज्य द्वारा इस विधि का पुनरीक्षण करने की सिफारिश करते हुए संबद्ध राज्य सरकार को लिखना चाहिए । केंद्रीय सरकार को प्रवृत्त केंद्रीय अधिनियमों की सूची से भी इस विधि को हटा देना चाहिए । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि‍-ट 5) द्वारा इस अधिनियम के निरसन की भी सिफारिश की गई है ।

15. किराया वसूली अधिनियम, 1853 का अधिनियम 6

प्रवर्ग : न्यास प्रशासन

सिफारिश : सुसंगत राज्यों के परामर्श से निरसन

अधिनियम बकाया किराए के लिए 'पुतनी तालुक' और अन्य विक्रययोग्य भू-धृति और किराए की संक्षिप्त डिक्री के समाधान में भूमि के विक्रय में अपनाई जाने

वाली प्रक्रिया को विनियमित करता है । अधिनियम विक्रय, उस भूमि की बावत वाद की सुनवाई करने और विनिश्चित करने जो ऐसे विक्रय का वि-नय है के, संचालन करने हेतु कलक्टर में अधिकारिता विहित करता है । अधिकांश राज्यों ने अब अपनी किराया वसूली विधियां अनियमित कर ली हैं । अतः, इस अधिनियम का प्रयोजन अन्य विधियों में सम्मिलित हो चुका है । तथापि, किराया न्यायालयों में प्रक्रिया के वि-नय के लिए सक्षम विधानमंडल उस राज्य का विधानमंडल है, (भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2 का मद 3 देखें) संविधान के अनुच्छेद 372(1) के आधार पर इस अधिनियम का निरसन उन्हीं सुसंगत राज्यों द्वारा ही किया जा सकता है जहां यह अब भी प्रवर्तन में है । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1) द्वारा भी इस अधिनियम के निरसन की सिफारिश की गई है ।

16. तटीय उपताप (बम्बई और कोलाबा) अधिनियम, 1853 का अधिनियम 11

प्रवर्ग : सामुद्रिक विधि, पोत परिवहन और अंतरदेशीय नौ-वहन

सिफारिश : निरसन

अधिनियम इन बंदरगाहों पर सुरक्षित नौ-वहन के लिए बम्बई और कोलाबा द्वीप में उच्च जल चिह्न के नीचे उपताप, बाधा और अतिक्रमण हटाने को सुकर बनाता है। इस अधिनियम के अधीन, कलक्टर को दो द्वीपों के समुद्र तटों से किसी ऐसे उपताप को हटाने की नोटिस देने की शक्ति प्रदान की गई है । यह जल प्रदू-ण से संबंधित पूर्व विधियों में से एक था और इन क्षेत्रों के बहुत नजदीक चालू विभिन्न उद्योगों से बम्बई और कोलाबा के तटीय क्षेत्रों में छोड़े गए अपशि-ट सामग्रियों को विनियमित करने के लिए था । खतरनाक अपशि-ट सामग्री का प्रबंधन अब पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और जल (प्रदू-ण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अधीन विरचित विभिन्न नियमों के अधीन किया जा रहा है । इस अधिनियम का प्रयोजन बाद वाली अधिनियमितियों द्वारा आवे-टित कर लिया गया है । इस अधिनियम का उपयोग किए जाने का कोई साक्ष्य नहीं है । अतः केंद्रीय सरकार को इस अधिनियम को निरसित कर देना चाहिए । पी. सी.

जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5) द्वारा भी इस अधिनियम के निरसन की सिफारिश की गई है ।

17. पुलिस (आगरा) अधिनियम, 1854 का अधिनियम 16

प्रवर्ग : आपराधिक न्याय

सिफारिश : सुसंगत राज्यों के परामर्श से निरसन

इस अधिनियम का पाठ सुलभतः उपलब्ध नहीं है । न ही ऐसा कोई संकेत है कि अधिनियम उपयोग में है । तथापि, अनुच्छेद 372(1) के अनुसार इस अधिनियम के निरसन के लिए सक्षम विधानमंडल उस राज्य का विधानमंडल है जहां अधिनियम प्रवृत्त है । अतः, केंद्रीय सरकार को निरसन की दृ-टि से राज्य द्वारा इस विधि का पुनरीक्षण करने की सिफारिश करते हुए संबद्ध राज्य सरकार को लिखना चाहिए । केंद्रीय सरकार को प्रवृत्त केंद्रीय अधिनियमों की सूची से भी इस विधि को हटा देना चाहिए । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट 5) द्वारा इस अधिनियम के निरसन की भी सिफारिश की गई है ।

18. बंगाल तट अधिनियम, 1855 का अधिनियम 32

प्रवर्ग : परिवहन और अवसंरचना

सिफारिश : सुसंगत राज्यों के परामर्श से निरसन

इस अधिनियम का अधिनियमन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए तटों के बेहतर पर्यवेक्षण और संरक्षण का उपबंध करने के लिए किया गया था कि विद्यमान विनियम तटों के अनुरक्षण के लिए अप्रभावी थे । इस अधिनियम को उड़ीसा (जो यह उस समय था) के सिवाय सभी राज्यक्षेत्रों और सुन्दर वन को बंगाल तट अधिनियम, 1873 द्वारा इसे लागू होना निरसित किया गया था । अतः, इसका लागू होना सीमित है । तथापि, अनुच्छेद 372(1) के अनुसार, इस अधिनियम के निरसन के लिए सक्षम विधानमंडल वह राज्य विधानमंडल है जहां अधिनियम प्रवृत्त

है । अतः, केंद्रीय सरकार को निरसन की दृ-टि से राज्य द्वारा इस विधि का पुनरीक्षण करने की सिफारिश करते हुए पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा के संबद्ध राज्य सरकार को लिखना चाहिए । केंद्रीय सरकार को प्रवृत्त केंद्रीय अधिनियमों की सूची से भी इस विधि को हटा देना चाहिए । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट 5) द्वारा इस अधिनियम के निरसन की भी सिफारिश की गई है ।

19. कलकत्ता भू-राजस्व अधिनियम, 1856 का अधिनियम 18

प्रवर्ग : भू-राजस्व

सिफारिश : सुसंगत राज्यों के परामर्श से निरसन

अधिनियम कलकत्ता के भीतर भारत सरकार को प्रोद्भूत भू-राजस्व को सुनिश्चित करने और संग्रहण करने की प्रक्रिया विहित करता है । यद्यपि यह स्वतंत्रतापूर्व गवर्नर जनरल सपरि-द् द्वारा अधिनियमित था । यह अब ऐसे सुसंगत राज्य द्वारा प्रशासित है जिसे इस विधि को निरसित करने या संशोधित करने की भी शक्ति है । अतः, केंद्रीय सरकार को निरसन की दृ-टि से राज्य द्वारा इस विधि का पुनरीक्षण करने की सिफारिश करते हुए संबद्ध राज्य सरकार को लिखना चाहिए । केंद्रीय सरकार को प्रवृत्त केंद्रीय अधिनियमों की सूची से भी इस विधि को हटा देना चाहिए । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट 5) द्वारा इस अधिनियम के निरसन की भी सिफारिश की गई है ।

20. बंगाल चौकीदारी अधिनियम, 1856 का अधिनियम 20

प्रवर्ग : आपराधिक न्याय

सिफारिश : सुसंगत राज्यों के परामर्श से निरसन

अधिनियम बंगाल के फोर्ट विलियम प्रेसीडेंसी के शहरों, नगरों, स्टेशनों, उपक्षेत्रों और बाजारों में पुलिस चौकीदारों की नियुक्ति और अनुरक्षण का उपबंध करता है । यद्यपि यह स्वतंत्रतापूर्व गवर्नर जनरल सपरि-द् द्वारा अधिनियमित किया

गया था, अब यह ऐसे सुसंगत राज्य द्वारा प्रशासित है जिसे इसी विधि को निरसित करने या संशोधित करने की भी शक्ति है । तथापि, अनुच्छेद 372(1) के अनुसार इस अधिनियम के निरसन के लिए सक्षम विधानमंडल उस राज्य का विधानमंडल है जहां अधिनियम प्रवृत्त है । अतः, केंद्रीय सरकार को निरसन की दृ‍टि से राज्य द्वारा इस विधि का पुनरीक्षण करने की सिफारिश करते हुए संबद्ध राज्य सरकार को लिखना चाहिए । केंद्रीय सरकार को प्रवृत्त केंद्रीय अधिनियमों की सूची से भी इस विधि को हटा देना चाहिए । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि‍-ट 5) द्वारा इस अधिनियम के निरसन की भी सिफारिश की गई है ।

21. तम्बाकू शुल्क (बम्बई शहर) अधिनियम, 1857 का अधिनियम 4

प्रवर्ग : कर, पथकर और उपकर विधियां

सिफारिश : निरसन

अधिनियम ने बम्बई शहर में तम्बाकू पर संदेय शुल्क और तम्बाकू के खुदरा विक्रय और भांडागार से संबंधित विधि का संशोधन किया । अधिनियम का अब उपयोग नहीं रह गया है । तम्बाकू शुल्क अब केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के अधीन अधिरोपित किए जाते हैं, क्योंकि 'भारत में विनिर्मित या उत्पादित तम्बाकू पर उत्पाद शुल्क' सातवीं अनुसूची की सूची 1 के अधीन आता है (मद 84 देखें) । अतः, 1857 अधिनियम को निरसित किया जाए । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि‍-ट ए-5) द्वारा इस अधिनियम के निरसन की भी सिफारिश की गई है।

22. मद्रास अनिवार्य श्रम अधिनियम, 1858 का अधिनियम 1

प्रवर्ग : श्रम विधियां

सिफारिश : निरसन

अधिनियम मद्रास के फोर्ट सेंट जार्ज प्रेसीडेंसी में तालाबों, नदियों और नहरों

के किनारों के अचानक टूटने से कारित बाढ़ द्वारा किसी रि-टि के निवारण और मरम्मत के लिए श्रमिकों के मजबूर करने को विधिसम्मत बनाता है । यद्यपि यह स्वतंत्रतापूर्व गवर्नर जनरल सपरि-द् द्वारा अधिनियमित था, किंतु अब यह उस सुसंगत राज्य द्वारा प्रशासित है जिसे इस विधि को निरसित करने या संशोधित करने की भी शक्ति है । अतः, केंद्रीय सरकार को निरसन करने की दृ-टि से विशे-कर यह अनिवार्य श्रम के बारे में है जो संविधान के अधीन गारंटीकृत अधिकारों के विरुद्ध है, राज्य द्वारा इस विधि का पुनरीक्षण करने की सिफारिश करते हुए संबद्ध राज्य सरकार को लिखना चाहिए । केंद्रीय सरकार को प्रवृत्त केंद्रीय अधिनियमों की अपनी सूची से भी इस विधि को हटा देना चाहिए । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5) द्वारा इस अधिनियम के निरसन की भी सिफारिश की गई है ।

23. बंगाल घटवाली भूमि अधिनियम, 1859 का अधिनियम 5

प्रवर्ग : भूमि विधियां

सिफारिश : सुसंगत राज्यों के परामर्श से निरसन

अधिनियम पश्चिमी बंगाल के बीरभूमि जिले में घटवाली भू-धारकों को अपने निजी कब्जे की अवधि से परे अवधि को बढ़ाकर पट्टा देने की शक्ति प्रदान करता है । अधिनियम विनिर्दि-टतः उन घटवालों को फायदा पहुंचाने के लिए अधिनियमित किया गया था जिन्होंने बंगाल कोड के विनियम 29,1814 के अधीन सरकार को सीधे अपनी भूमि के राजस्व संदत्त किए थे । भू-राजस्व प्रशासन की यह प्रणाली अब अस्तित्व में नहीं है । तथापि, इस विधि को निरसित करने या संशोधित करने की शक्ति संबद्ध राज्य विधानमंडल के पास है । अतः, केंद्रीय सरकार को निरसन की दृ-टि से राज्य द्वारा इस विधि का पुनरीक्षण करने की सिफारिश करते हुए संबद्ध राज्य सरकार को लिखना चाहिए । केंद्रीय सरकार को प्रवृत्त केंद्रीय अधिनियमों की सूची से भी इस विधि को हटा देना चाहिए । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट 5) द्वारा इस अधिनियम के निरसन की भी सिफारिश की गई है ।

24. बंगाल किराया अधिनियम, 1859 का अधिनियम 10

प्रवर्ग : किराया और किराएदारी

सिफारिश : विधि मंत्रालय की केंद्रीय अधिनियमों की सूची से हटाएं

अधिनियम ने बंगाल के फोर्ट विलियम प्रेसीडेंसी में किराए की वसूली से संबंधित विद्यमान विनियमों और अधिनियमों को संशोधित किया । इस अधिनियम को पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार अधिनियम, 1955 की धारा 59 द्वारा निरसित किया गया है । अतः, केंद्रीय सरकार को प्रवृत्त केंद्रीय अधिनियमों की अपनी सूची से इस विधि को हटा देना चाहिए ।

25. बंगाल भू-राजस्व विक्रय अधिनियम, 1859 का अधिनियम 11

प्रवर्ग : भू-राजस्व

सिफारिश : सुसंगत राज्यों के परामर्श से निरसन

इस अधिनियम का उद्देश्य बंगाल, बिहार और उड़ीसा (जैसा वे तत्समय थे) के प्रांतों में राजस्व के बकाए के लिए भूमि के विक्रय से संबंधित विधि में सुधार करना था । यद्यपि स्वतंत्रतापूर्व गवर्नर जनरल सपरि-द् द्वारा यह अधिनियमित था किंतु अब यह उस सुसंगत राज्य द्वारा प्रशासित है जिसे इसे विधि को निरसित करने या संशोधित करने की शक्ति है । उड़ीसा सरकार ने पहले ही विधि को निरसित कर दिया है । अतः, केंद्रीय सरकार को निरसन की दृ-टि से राज्य द्वारा इस विधि का पुनरीक्षण करने की सिफारिश करते हुए संबद्ध राज्य सरकार को लिखना चाहिए । केंद्रीय सरकार को प्रवृत्त केंद्रीय अधिनियमों की सूची से भी इस विधि को हटा देना चाहिए । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट 5) द्वारा इस अधिनियम के निरसन की भी सिफारिश की गई है ।

26. मद्रास जिला पुलिस अधिनियम, 1859 का अधिनियम 24

प्रवर्ग : आपराधिक न्याय

सिफारिश : विधि मंत्रालय की केंद्रीय अधिनियमों की सूची से हटाएं

अधिनियम तमिलनाडु राज्य में पुलिस बल को पुनगर्ठित करने का उपबंध करता है जिससे कि अपराध के निवारण और खोज के लिए अधिक प्रभावी उपकरण बनाया जा सके । अधिनियम को 1969 के अनुकूल आदेश के द्वारा तमिलनाडु जिला पुलिस अधिनियम, 1859 को पुनर्परि-कृत किया गया और अधिनियम अब भी उपयोग में है । अतः, केंद्रीय सरकार को प्रवृत्त केंद्रीय अधिनियमों की अपनी सूची से इस विधि को हटा देना चाहिए ।

27. मंजिली वहन अधिनियम, 1861 का अधिनियम 16

प्रवर्ग : परिवहन और अवसंरचना

सिफारिश : सुसंगत राज्यों के परामर्श से निरसन

अधिनियम प्रेसीडेंसी शहरों में मंजिली गाड़ियों का मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त द्वारा उनके उपयोग के लिए अनिवार्य अनुज्ञापन का उपबंध करने के लिए बनाया गया । इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मंजिली गाड़ी को भाड़े पर यात्रियों को लाने-ले-जाने के प्रयोजन के लिए साधारणतः एक या अधिक घोड़ों के द्वारा वहन की गई गाड़ी के रूप में परिभाषित किया गया है । राज्यों के पास अब मंजिली गाड़ियों के अनुज्ञापन को शासित करने के लिए और आधुनिक नियम है । उदाहरणार्थ, मुंबई में, विजयी के रूप में ज्ञात गाड़ियों (जैसा इस अधिनियम के अधीन परिभाषित है) का अनुज्ञापन बम्बई लोक प्रवहण अधिनियम, 1920 के अधीन किया जाता है न कि इस अधिनियम के अधीन । परिणामतः, अधिनियम का अब उपयोग नहीं रह गया है । कर्नाटक जैसे राज्यों ने पहले ही इस अधिनियम को इस कारण निरसित कर दिया है कि यह 'पुराना' अधिनियम है । अतः, केंद्रीय सरकार को निरसन की दृ-टि से राज्य द्वारा इस विधि का पुनरीक्षण करने की सिफारिश करते हुए संबद्ध राज्य सरकार को लिखना चाहिए । केंद्रीय सरकार को

प्रवृत्त केंद्रीय अधिनियमों की सूची से भी इस विधि को हटा देना चाहिए । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट 5) द्वारा इस अधिनियम के निरसन की भी सिफारिश की गई है ।

28. उत्पाद शुल्क (स्प्रिट) अधिनियम, 1863 का अधिनियम 16

प्रवर्ग : कर, पथकर और उपकर विधियां

सिफारिश : निरसन

अधिनियम अनन्यतः "कला और विनिर्माण या रसायन में" प्रयुक्त स्प्रिट पर संदेय उत्पाद शुल्क के उद्ग्रहण का उपबंध करता है । अब यह उस औद्योगिक अल्कोहल पर उत्पाद शुल्क के प्रवर्ग के अधीन आता है जिसका उद्ग्रहण केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है । अतः, 1863 अधिनियम निरर्थक है और केंद्रीय सरकार द्वारा इसे निरसित किया जाना चाहिए ।

29. राजस्व देने वाली संपदाओं का विभाजन अधिनियम, 1863 का अधिनियम 19

प्रवर्ग : भूमि विधियां

सिफारिश : सुसंगत राज्य सरकारों के परामर्श से निरसन

अधिनियम का अधिनियम बंगाल के फोर्ट विलियम प्रेसीडेंसी के उत्तर-पश्चिमी प्रांत (जो अब उत्तर प्रदेश में आता है) में सरकार को राजस्व देने वाली संपदा के विभाजन से संबंधित विधि को समेकित और संशोधित करने के लिए किया गया था । यद्यपि स्वतंत्रता पूर्व गवर्नर जनरल सपरि-द् द्वारा यह अधिनियमित था किंतु यह अब उस सुसंगत राज्य द्वारा प्रशासित है जिसे इस विधि को निरसित करने या संशोधित करने की शक्ति है। अतः, केंद्रीय सरकार को निरसन की दृ-टि से राज्य द्वारा इस विधि का पुनरीक्षण करने की सिफारिश करते हुए संबद्ध राज्य सरकार

को लिखना चाहिए । केंद्रीय सरकार को प्रवृत्त केंद्रीय अधिनियमों की सूची से भी इस विधि को हटा देना चाहिए । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट 5) द्वारा इस अधिनियम के निरसन की भी सिफारिश की गई है ।

30. कोरोनर अधिनियम, 1871 का अधिनियम 4

प्रवर्ग : आपराधिक न्याय

सिफारिश : निरसन और नए कोरोनर अधिनियम का अधिनियमन करें

इस अधिनियम ने कोरोनर से संबंधित विधि को संशोधित किया । तथापि, इस अधिनियम का सीमित विस्तार है और बम्बई और कलकत्ता उच्च न्यायालयों की मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर ही कोरोनेरो की नियुक्ति का उपबंध करता है । दिल्ली उच्च न्यायालय ने **सोशल जूरिस्ट, सिविल राइट ग्रुप** बनाम **भारत संघ [**रिट याचिका (सिविल) सं. 6179/2007] वाले मामले में विधि आयोग से यह परीक्षा करने की सिफारिश की कि क्या यूनाइटेड किंगडम में प्रवृत्त कोरोनर अधिनियम, 1988 जैसे विधान की भारत में आवश्यकता है । परिणामतः, विधि आयोग ने अपनी 206वीं रिपोर्ट (जून 2008) में संपूर्ण भारत के लिए लागू नए कोरोनर अधिनियम के अधिनियमन का प्रस्ताव किया । विधि आयोग ने 1871 अधिनियम के निरसन और नए कोरोनर अधिनियम के अधिनियमिति की सिफारिश की जिसका विस्तार संपूर्ण भारत पर हो । इस बावत, विधि आयोग ने कोरोनर विधेयक, 2008 का प्रस्ताव किया जिसका पाठ 206वीं रिपोर्ट में संलग्न है । अतः, केंद्रीय सरकार को 1871 अधिनियम को निरसित करना चाहिए और कोरोनर विधेयक, 2008 (विधि आयोग द्वारा यथा सिफारिश) को विचारार्थ ग्रहण करना चाहिए । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5) द्वारा इस अधिनियम के निरसन की सिफारिश की गई है ।

31. बंगाल सेशन न्यायालय अधिनियम, 1871 का अधिनियम 19

प्रवर्ग : न्याय प्रशासन

सिफारिश : सुसंगत राज्य सरकारों के परामर्श से निरसन

अधिनियम बंगाल के फोर्ट विलियम प्रेसीडेंसी के निचले और उत्तर-पश्चिमी प्रांतों के उप राज्यपालों की सरकारों के अधीन क्रमशः राज्यक्षेत्रों के लिए सेशन न्यायाधीशों की नियुक्ति का उपबंध करता है । यद्यपि यह स्वतंत्रतापूर्व गवर्नर जनरल सपरि-द् द्वारा अधिनियमित किया गया किंतु अब यह उस सुसंगत राज्य द्वारा प्रशासित है जिसे इस विधि को निरसित करने या संशोधित करने की शक्ति है । अतः, केंद्रीय सरकार को निरसन की दृ-टि से राज्य द्वारा इस विधि का पुनरीक्षण करने की सिफारिश करते हुए संबद्ध राज्य सरकार को लिखना चाहिए । केंद्रीय सरकार को प्रवृत्त केंद्रीय अधिनियमों की सूची से भी इस विधि को हटा देना चाहिए । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट 5) द्वारा इस अधिनियम के निरसन की भी सिफारिश की गई है ।

32. उत्तर-पश्चिमी प्रांत ग्राम और सड़क पुलिस अधिनियम, 1873 का अधिनियम 6

प्रवर्ग : आपराधिक न्याय

सिफारिश : उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार के परामर्श से निरसन

अधिनियम का अधिनियमन बंगाल के फोर्ट विलियम प्रेसीडेंसी के उत्तर-पश्चिमी प्रांतों में ग्राम और सड़क पुलिस से संबंधित विधि को समेकित और संशोधित करने के लिए किया गया था । अधिनियम में उक्त प्रांतों के ग्राम और सड़क पुलिसकर्मी की नियुक्ति और कर्तव्य और दायित्वों का उपबंध है । पूर्व उत्तर-पश्चिम प्रांत अब आगरा की प्रशासनिक इकाई गठित करता है जो आजकल उत्तर प्रदेश राज्य है । यद्यपि यह स्वतंत्रतापूर्व गवर्नर जनरल सपरि-द् द्वारा अधिनियमित किया गया था किंतु अब यह सुसंगत राज्य, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रशासित है, जिसे इस विधि को निरसित या संशोधित करने की शक्ति है । अतः, केंद्रीय सरकार को निरसन की दृ-टि से राज्य द्वारा इस विधि का पुनरीक्षण करने

की सिफारिश करते हुए संबद्ध राज्य सरकार को लिखना चाहिए । केंद्रीय सरकार को प्रवृत्त केंद्रीय अधिनियमों की सूची से भी इस विधि को हटा देना चाहिए । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट 5) द्वारा इस अधिनियम के निरसन की भी सिफारिश की गई है ।

33. भारतीय निर्णय पत्रिका अधिनियम, 1875 का अधिनियम 18

प्रवर्ग : न्याय प्रशासन

सिफारिश : उपयुक्त संशोधनों के साथ निरसन की सिफारिश

अधिनियम यह अधिदेश देता है कि भारत का कोई न्यायालय राज्य सरकार के प्राधिकार के अधीन प्रकाशित निर्णय पत्रिका में उद्धृत के सिवाय किसी मामले की रिपोर्ट को नहीं सुनेगा । वस्तुतः यह उपबंध करता है कि न्यायालय किसी अप्राधिकृत निर्णय पत्रिकाओं से प्रोद्धरण सुनने के लिए बाध्य नहीं है । विधि आयोग की 96वीं रिपोर्ट में यह उल्लेख है कि यह सुज्ञात है कि अधिनियम के होते हुए भी, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के समक्ष भारत में अशासकीय पत्रिकाओं को उद्धृत किया जाता है । अतः, अधिनियम मृत विधि है और केंद्रीय सरकार को इस अधिनियम को निरसित करना चाहिए ।

34. छोटा नागपुर भारग्रस्त संपदा अधिनियम, 1876 का अधिनियम 6

प्रवर्ग : भूमि विधियां

सिफारिश : सुसंगत राज्यों के परामर्श से निरसन

अधिनियम का अधिनियमन ऐसे छोटा नागपुर के कतिपय भू-धारकों के राहत का उपबंध करने के लिए किया गया था जो ऋणग्रस्त थे और जिनकी स्थावर संपत्ति बंधक, प्रभार और धारणाधिकार के अधीन थी । छोटा नागपुर के राजसी राज्यों का समूह इस समय छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा के अंतर्गत आते हैं जिसके पास कभी ऋण राहत विधियां और स्कीमें नहीं थी । परिणामतः, अधिनियम

अब निरर्थक है । अतः, केंद्रीय सरकार को निरसन की दृ-टि से राज्य द्वारा इस विधि का पुनरीक्षण करने की सिफारिश करते हुए संबद्ध राज्य सरकार को लिखना चाहिए । केंद्रीय सरकार को प्रवृत्त केंद्रीय अधिनियमों की सूची से भी इस विधि को हटा देना चाहिए । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट 5) द्वारा इस अधिनियम के निरसन की भी सिफारिश की गई है ।

35. बम्बई नगरपालिका डिबेंचर अधिनियम, 1876 का अधिनियम 15

प्रवर्ग : वित्तीय विधियां

सिफारिश : सुसंगत राज्यों के परामर्श से निरसन

यह अधिनियम बम्बई नगरपालिका डिबेंचर के अंतरण से संबंधित विधि का संशोधन और उनके समेकन का उपबंध करने के लिए बनाया गया था । बम्बई के नगरपालिका डिबेंचरों से संबंधित वि-नय का विचारण अब मुंबई नगरपालिका निगम अधिनियम, 1888 के अधीन किया जाता है । यह अधिनियम अब दुरुपयोग की कोटि में आता है और इस प्रकार अब निरर्थक है । अतः, केंद्रीय सरकार को निरसन की दृ-टि से राज्य द्वारा इस विधि का पुनरीक्षण करने की सिफारिश करते हुए संबद्ध राज्य सरकार को लिखना चाहिए । केंद्रीय सरकार को प्रवृत्त केंद्रीय अधिनियमों की सूची से भी इस विधि को हटा देना चाहिए । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट 5) द्वारा इस अधिनियम के निरसन की भी सिफारिश की गई है ।

36. ब्रोच और कायरा भारग्रस्त संपदा अधिनियम, 1877 का अधिनियम 14

प्रवर्ग : भूमि विधियां

सिफारिश : सुसंगत राज्यों के परामर्श से निरसन

इस अधिनियम का अधिनियमन ब्रोच और कायरा जिलों के ऐसे ठाकुर जो ऋणग्रस्त थे और जिनकी संपत्ति बंधक, प्रभार और धारणाधिकार के अधीन थी, को भार से मुक्त करने के लिए किया गया था । अधिनियम ऐसी प्रक्रिया विहित करता

है जिसके द्वारा ठाकुर राहत के लिए संबद्ध प्राधिकारी को आवेदन कर सकते थे । इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए ठाकुर से अभिप्राय तालुकदार, जागीरदार और कस्बातीस से है । तालुकदारी और जागीदारी व्यवस्था अब अस्तित्व में नहीं है । ब्रोच और कायरा भी बम्बई के पूर्व प्रेसीडेंसी के जिले थे । ब्रोच अब गुजरात राज्य में भरुच के रूप में विद्यमान है और कायरा वर्तमान महारा-ट्र का एक जिला है । इस अधिनियम को व्यापकतः ब्रोंच और कायरा भारग्रस्त संपदा अधिनियम, 1881 द्वारा निरसित कर दिया गया है, किंतु कुछ धाराएं अब भी पुस्तक में है । अब यह उपयोग में नहीं है और केंद्रीय सरकार को निरसन की दृ-टि से राज्य द्वारा इस विधि का पुनरीक्षण करने की सिफारिश करते हुए संबद्ध राज्य सरकार को लिखना चाहिए । केंद्रीय सरकार को प्रवृत्त केंद्रीय अधिनियमों की सूची से भी इस विधि को हटा देना चाहिए ।

37. हैकने वहन अधिनियम, 1879 का अधिनियम 14

प्रवर्ग : परिवहन और अवसंरचना

सिफारिश : सुसंगत राज्यों के परामर्श से निरसन

अधिनियम कतिपय नगरपालिकाओं और छावनियों में हैकने-वहन के विनियमन और नियंत्रण का उपबंध करता है । अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, हैकने-वहन का अभिप्राय पशुओं द्वारा खींचे जाने वाले और यात्रियों के प्रवहण के लिए प्रयुक्त किसी पहियायुक्त यान से है जो भाड़े पर प्रस्तावित या चलायी जाती है । इस अधिनियम के वर्तमान प्रयोग का कोई साक्ष्य नहीं है । अतः, केंद्रीय सरकार को निरसन की दृ-टि से राज्य द्वारा इस विधि का पुनरीक्षण करने की सिफारिश करते हुए संबद्ध राज्य सरकार को लिखना चाहिए । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट 5) द्वारा इस अधिनियम के निरसन की भी सिफारिश की गई है ।

38 विधिक व्यवसायी अधिनियम, 1879 का अधिनियम 18

प्रवर्ग : विधिक, चिकित्सीय और अन्य वृत्तियां

सिफारिश : अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में उपयुक्त संशोधन करने के पश्चात् निरसन

इस विधि का अधिनियम विधिक व्यवसायियों के नामांकन, आचरण और सेवा से संबंधित सभी नियमों को समेकित करने के लिए किया गया था । तथापि, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के प्रवृत्त होने के पश्चात्, अधिनियम के सभी उपबंध धारा 1, 3 और 36 के सिवाय निरसित हो गए । जहां धारा 1 और 3 क्रमशः शी-र्क खंड और निर्वचन खंड हैं, धारा 36 उच्च न्यायालयों के दलालों की सूची विरचित करने और दलाली करने के लिए दंड विहित करने की शक्ति प्रदान करती है । उपयुक्त संशोधनों द्वारा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में ये उपबंध सम्मिलित किए जाएं जिससे कि इस वि-नय की संपूर्ण विधि एक स्थान पर मिल सके । अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में संशोधन करने के पश्चात् इस अधिनियम को निरसित किया जाए । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1) द्वारा इस अधिनियम के निरसन की सिफारिश की गई है ।

39. केंद्रीय प्रांत भू-राजस्व अधिनियम, 1881 का अधिनियम 18

प्रवर्ग : भू-राजस्व

सिफारिश : सुसंगत राज्यों के परामर्श से निरसन

अधिनियम का अधिनियमन केंद्रीय प्रांत जो अब मध्य प्रदेश, महारा-ट्र और छत्तीसगढ़ राज्यों में आता है, के भू-राजस्व और राजस्व अधिकारियों की शक्ति से संबंधित विधि को समेकित और संशोधित करने के लिए किया गया था । इन सभी राज्यों के अब अपने निजी कोड है अतः यह विधि अब निरर्थक है । अतः, केंद्रीय सरकार को निरसन की दृ-टि से राज्य द्वारा इस विधि का पुनरीक्षण करने की सिफारिश करते हुए संबद्ध राज्य सरकार को लिखना चाहिए । केंद्रीय सरकार को प्रवृत्त केंद्रीय अधिनियमों की सूची से भी इस विधि को हटा देना चाहिए ।

40. मद्रास वन (विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1882 का अधिनियम 21

प्रवर्ग : पर्यावरणीय विधि

सिफारिश : तमिलनाडु राज्य के परामर्श से निरसन

इस अधिनियम का अधिनियमन 1882 में अधिनियमित, तमिलनाडु वन अधिनियम से संबंधित शंकाओं को दूर करने के लिए किया गया था । इस अधिनियम का प्रयोजन पूरा हो चुका है । चूंकि वन की वि-नय वस्तु समवर्ती सूची में आती है (सातवीं अनुसूची की सूची 3 की प्रविन्टि 17क देखें) । अतः केंद्रीय सरकार इस अधिनियम को निरसित करने के लिए सक्षम है । अतः केंद्रीय सरकार को तमिलनाडु राज्य से परामर्श और उपयुक्त व्यावृत्ति खंड अंतःस्थापित करने के पश्चात् इस अधिनियम को निरसित करना चाहिए । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट 5) द्वारा इस अधिनियम के निरसन की भी सिफारिश की गई है ।

41. विक्रम सिंह संपदा अधिनियम, 1883 का अधिनियम 10

प्रवर्ग : भूमि विधियां

सिफारिश : निरसन

इस अधिनियम ने राजा विक्रम सिंह और कपूरथला स्टेट के राजा के बीच विवाद के कतिपय मामलों से संबंधित वायसराय और गवर्नर जनरल सपरि-द् द्वारा किए गए पंचाट को प्रभावी बनाया । इस समझौते के माध्यम से उन्हें कपूरथला छोड़ने और जालंधर में बसने का निर्देश दिया गया । अधिनियम में यह भी उपबंध था कि यदि विक्रम सिंह पुरु-ा वारिस छोड़कर मरता है तो विरासत की उचित विधि लागू होगी अन्यथा संपत्ति कपूरथला राजा को चली जाएगी । इस अधिनियम का प्रयोजन पूरा हो चुका है । मूल अधिनियम के अधीन कोई लंबित कार्यवाही उपयुक्त व्यावृत्ति खंड से रक्षित बनी रहेगी । परिणामतः, इस अधिनियम को निरसित किया जाए ।

42. भूमि सुधार उधार अधिनियम, 1883 का अधिनियम 19

प्रवर्ग : भूमि विधियां

सिफारिश : सुसंगत राज्यों के परामर्श से निरसन

अधिनियम कृ-ि सुधारों के लिए सरकार द्वारा धन के उधार से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करता है । इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 'सुधार' से कुओं का सन्निर्माण, सिंचाई के लिए भूमि की तैयारी, आदि से है । अधिनियम उधार के लिए आवेदन और उधार की वसूली के लिए प्रक्रिया अधिकथित करता है। भूमि सुधार और कृ-िक उधार अब राज्य वि-ाय है (सूची 2, प्रवि-ि 18)। अब सभी राज्यों ने भूमि बंधक बैंक अधिनियम बना लिए हैं जो भूमि बंधक बैंक के गठन को प्राधिकृत करता है । इस बैंक का एक प्रयोजन कृ-ि सुधारों की सहायता करना है । अतः, इस अधिनियम ने अपनी सुसंगतता खो दी है और अब इसे निरसित किया जाए । अतः, केंद्रीय सरकार को निरसन की दृ-ि से राज्य द्वारा इस विधि का पुनरीक्षण करने की सिफारिश करते हुए संबद्ध राज्य सरकार को लिखना चाहिए । केंद्रीय सरकार को प्रवृत्त केंद्रीय अधिनियमों की सूची से भी इस विधि को हटा देना चाहिए ।

43. पंजाब जिला बोर्ड अधिनियम, 1883 का अधिनियम 20

प्रवर्ग : प्रशासन और स्थानीय क्षेत्रों के विकास से संबंधित विधियां

सिफारिश : केंद्रीय सरकार को पंजाब राज्य से स्प-टीकरण की मांग करते हुए लिखना चाहिए कि क्या यह अधिनियम अब भी उपयोग में है ।

अधिनियम ने पंजाब के जिलों में स्थानीय स्व-सरकार के लिए बेहतर उपबंध किए । अधिनियम जिलों के उचित अनुरक्षण के लिए जिला बोर्ड की परिकल्पना करता है (सड़कों का सन्निर्माण, संपत्ति का प्रबंध, जन्म और मृत्यु, आदि का रजिस्ट्रीकरण) । अधिनियम भू-धारकों द्वारा जिले की सभी भूमि पर संदेय 'स्थानीय दर' भी अधिरोपित करता है । इस संग्रहण से एकत्रित राजस्व का उपयोग जिले के अनुरक्षण के लिए होगा । यह तथ्य कि यह अब भी सुसंगत हो सकता है, यह

है कि पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1967 ‘दर और उपकर’ को पंजाब जिला बोर्ड अधिनियम, 1883 के अधीन संदेय स्थानीय दर को सम्मिलित करने के रूप में परिभान्ति करता है । तथापि, अधिनियम का अन्यथा प्रयोग होना प्रतीत नहीं होता। केंद्रीय सरकार को इस स्प-टीकरण की मांग करते हुए पंजाब सरकार को लिखना चाहिए कि क्या यह अधिनियम अब भी प्रयोग में है । केंद्रीय सरकार को प्रवृत्त केंद्रीय अधिनियमों की अपनी सूची से इस विधि को हटा देना चाहिए ।

44. पंजाब भू-धृति अधिनियम, 1887 का अधिनियम 16

प्रवर्ग : किराया और भू-धृति

सिफारिश : केंद्रीय सरकार को इस स्प-टीकरण की मांग करते हुए पंजाब राज्य को लिखना चाहिए कि क्या यह अधिनियम अब भी उपयोग में है ।

अधिनियम का अधिनियमन पंजाब में भू-धृति से संबंधित विधि का संशोधन करने के लिए किया गया था । यह अब भी पंजाब में उपयोग में है किंतु, दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 द्वारा दिल्ली को इसका लागू होना निरसित हो गया है । केंद्रीय सरकार को इस स्प-टीकरण की मांग करते हुए लिखना चाहिए कि क्या यह अधिनियम अब भी उपयोग में है । केंद्रीय सरकार को प्रवृत्त केंद्रीय अधिनियमों की अपनी सूची से इस विधि को भी हटा देना चाहिए ।

45. पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887 का अधिनियम 17

प्रवर्ग : भू-राजस्व

सिफारिश : केंद्रीय सरकार को इस स्प-टीकरण की मांग करते हुए पंजाब राज्य को लिखना चाहिए कि क्या यह अधिनियम अब भी उपयोग में है ।

अधिनियम का अधिनियमन भूमि पर अधिकार अभिलेख बनाने और अनुरक्षण, भू-राजस्व के निर्धारण और संग्रहण और भूमि से संबंधित अन्य मामले और उनके आनु-ंगिक दायित्वों के लिए किया गया था। पंजाब भू-राजस्व अधिनियम 1967

द्वारा दिल्ली में इसका लागू होना निरसित कर दिया गया है । किंतु यह अब भी पंजाब में प्रवृत्त है । केंद्रीय सरकार को इस स्प-टीकरण की मांग करते हुए पंजाब सरकार को लिखना चाहिए कि क्या यह अब भी प्रवृत्त है । केंद्रीय सरकार को प्रवृत्त केंद्रीय अधिनियमों की अपनी सूची से भी इस विधि को हटा देना चाहिए ।

46. पुलिस अधिनियम, 1888 का अधिनियम 3

प्रवर्ग : आपराधिक न्याय

सिफारिश : निरसन

अधिनियम का अधिनियमन पुलिस विनियमन के लिए कतिपय राज्य पुलिस अधिनियमों के उन उपबंधों को शिथिल करने के लिए किया गया था जो ऐसे पुलिस स्थापन जिसके वे सदस्य हैं, की प्रेसीडेंसी, प्रांत या स्थान पर पुलिस अधिकारियों के नियोजन को निर्बंधित करता था । यह अधिनियम केंद्रीय सरकार को दो या अधिक राज्यों के भागों का मिलाकर विशे-ा पुलिस जिला सृजित करने और अधिसूचना में विनिर्दि-ट राज्य के पुलिस बल के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता को उक्त जिले के प्रत्येक भाग में विस्तारित करने की शक्ति प्रदान करता है । पुलिस अब राज्य वि-ाय है (सातवीं अनुसूची की सूची 2 की प्रविि-टि 2 देखें) अतः, केंद्रीय सरकार विशे-ा पुलिस जिला सृजित नहीं कर सकती और ऐसे जिलों को पुलिस बल सौंप नहीं सकती । जबकि सूची 1 की प्रविि-टि 80 संसद् को एक राज्य की पुलिस की अधिकारिता को दूसरे राज्य की अधिकारिता का प्रयोग करने का विस्तार करने की विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है, यह उस राज्य सरकार की सहमति के बिना नहीं किया जा सकता जिसमें ऐसा क्षेत्र स्थित है । यह अधिनियम केंद्रीय सरकार की शक्ति पर ऐसा कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करता अतः, इस अधिनियम की संवैधानिकता संदेहास्पद है । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5) द्वारा इस अधिनियम के निरसन की सिफारिश की गई है । इस अधिनियम का हाल ही में उपयोग किए जाने का कोई साक्ष्य नहीं है । अतः, केंद्रीय सरकार को इस अधिनियम को निरसित करना चाहिए ।

47. बम्बई शहर नगरपालिका (अनुपूरक) अधिनियम, 1888 का अधिनियम 12

प्रवर्ग : न्याय प्रशासन

सिफारिश : सुसंगत राज्यों के परामर्श से निरसन

अधिनियम का अधिनियमन बम्बई शहर नगरपालिका अधिनियम, 1888 के कतिपय उपबंधों के अनुपूरक हेतु किया गया था । अधिनियम में मुख्य अधिनियम के उपबंधों के अधीन दिए गए लघुवाद न्यायालय और प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट के विनिश्चयों से बम्बई उच्च न्यायालय को अपील करने का उपबंध है । मुख्य अधिनियम को अब परि-कृत कर मुंबई नगरपालिका निगम अधिनियम, 1888 बनाया गया है । अनुपूरक अधिनियम के उपबंधों को मुख्य अधिनियम में सम्मिलित किया गया है । अतः, विधि अब निरर्थक हो गई है और महारा-ट्र राज्य के परामर्श के पश्चात् निरसित किया जाए ।

48. उत्पाद शुल्क (माल्ट लिकर) अधिनियम, 1890 का अधिनियम 13

प्रवर्ग : कर, पथकर और उपकर विधियां

सिफारिश : निरसन

यह अधिनियम माल्ट लिकर को समुद्री सीमाशुल्क अधिनियम, 1878 के उपबंधों को लागू करता है । समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम को 1962 के सीमा शुल्क अधिनियम द्वारा निरसित किया गया है । अतः, इस अधिनियम को भी निरसित किया जाए ।

49. सुखाधिकार (विस्तार) अधिनियम, 1891 का अधिनियम 8

प्रवर्ग : राज्य पुनर्गठन और विधियों का विस्तार

सिफारिश : निरसन

यह अधिनियम सुखाधिकार अधिनियम, 1882 को सपरि-द् बम्बई के राज्यपाल और उत्तर-पश्चिमी प्रांत के उपराज्यपाल और अवध के मुख्य आयुक्त द्वारा प्रशासित राज्यक्षेत्रों का विस्तारित करता है । यह अधिनियम अब निरर्थक है क्योंकि राज्यक्षेत्रीय विभाजन जिसका यह उल्लेख करता है अब विद्यमान नहीं है । इस अधिनियम का प्रयोजन पूरा हो चुका है अतः, केंद्रीय सरकार को इस अधिनियम को निरसित करना चाहिए । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1) द्वारा इस अधिनियम को भी निरसित करने की सिफारिश की गई है ।

50. मुर्शिदाबाद अधिनियम, 1891 का अधिनियम 15

प्रवर्ग : भूमि विधियां

सिफारिश : विधि मंत्रालय की केंद्रीय अधिनियमों की सूची से हटाएं

इस अधिनियम को पश्चिमी बंगाल मुर्शिदाबाद संपदा (न्यास) अधिनियम, 1963 द्वारा निरसित किया गया है ।

51. विवाह विधिमान्यकरण अधिनियम, 1892 का अधिनियम 2

प्रवर्ग : स्वीय विधियां

सिफारिश : निरसन

अधिनियम का अधिनियमन भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872 के भाग 6 के अधीन अनु-ठापित कतिपय विवाहों को विधिमान्य करने के लिए किया गया था । अधिनियम ऐसे व्यक्तियों के बीच विवाह को विधिमान्य ठहराता है जिसमें से केवल एक भारतीय ईसाई हो और दोनों को भारतीय ईसाई मानता है । इस अधिनियम का प्रयोग अब पूरा हो चुका है । निरसन अधिनियम में एक उपयुक्त व्यावृत्ति खंड जोड़ा जाए जिससे कि इस अधिनियम के अधीन प्रोद्भूत अधिकारों की रक्षा की जा सके ।

52. बंगाल मिलिट्री पुलिस अधिनियम, 1892 का अधिनियम 5

प्रवर्ग : भारत की रक्षा और सशस्त्र बल

सिफारिश : सुसंगत राज्यों के परामर्श से निरसन

इस अधिनियम का अधिनियमन बंगाल मिलिट्री पुलिस के बेहतर विनियमन के लिए किया गया था । यह पुलिस के सदस्यों द्वारा किए गए अपराधों के लिए दंड विहित करता है । बंगाल मिलिट्री पुलिस का नाम 1990 में पुनःईस्टर्न फ्रंटियर राइफल दिया गया । 1947 में, इस पुलिस बल का विभाजन भारत और पाकिस्तान में हुआ । मिलिट्री पुलिस अब ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल के रूप में विद्यमान है और पश्चिमी बंगाल राज्य की पुलिस बल का भाग है । पश्चिमी बंगाल पुलिस अधिनियम, 1952 राज्य में पुलिस बल की तैनाती का उपबंध करता है । अतः, अधिनियम अब लागू नहीं हो सकता है और इसे निरसित किया जाए । अतः, केंद्रीय सरकार को निरसन की दृ‍ि से राज्य द्वारा इस विधि का पुनरीक्षण करने की सिफारिश करते हुए संबद्ध राज्य सरकार को लिखना चाहिए । केंद्रीय सरकार को प्रवृत्त केंद्रीय अधिनियमों की सूची से भी इस विधि को हटा देना चाहिए ।

53. प्राइवेट संपदा का सरकारी प्रबंधन अधिनियम, 1892 का अधिनियम 10

प्रवर्ग : भू-राजस्व

सिफारिश : निरसन

अधिनियम पर्यवेक्षण और प्रबंधन की लागत को पूरा करने के लिए सरकार के प्रबंधन के अधीन प्राइवेट संपदाओं पर कतिपय दर का उद्ग्रहण अधिरोपित करता है । इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए 'संपदा' का अभिप्राय वार्ड न्यायालय के अधीन संपदा सरकारी प्रबंधन की भारग्रस्त संपदा और संदाय के चूक के लिए कुर्क संपदा से है । इसमें राजसी राज्यों में भूमिधारकों की संपदाओं का प्रबंधन सम्मिलित है । चूंकि भू-धारण की यह व्यवस्था जो स्वतंत्रता के पूर्व विद्यमान थी,

अब विद्यमान नहीं है, यह अधिनियम निरर्थक है । पी. सी. जैन आयोग ने अपने परिशि-ट ए-5 में भी इसके निरसन की सिफारिश की है ।

54. पोराहाट संपदा अधिनियम, 1893 का अधिनियम 2

प्रवर्ग : भूमि विधियां

सिफारिश : सुसंगत राज्यों के परामर्श से निरसन

अधिनियम पोराहाट की संपदा को सिंहभूमि जिले से जोड़ता है । यह अधिनियम पोराहाट को बंगाल के उपराज्यपाल की अधिकारिता के अधीन लाता है । सिंहभूमि वर्तमान झारखंड राज्य का एक जिला है और इस प्रकार, राज्य सरकार के प्राधिकार और अधिकारिता के भीतर है । चूंकि इसका प्रयोजन पूरा हो चुका है, अतः अब अधिनियम को निरसित किए जाने की आवश्यकता है ।

55. संशोधनकारी अधिनियम, 1897 का अधिनियम 5

प्रवर्ग : प्रशासन से संबंधित अवशि-ट विधियां

सिफारिश : निरसन

यह अधिनियम कतिपय विधियों को निरसित करने और संशोधित करने के लिए पारित किया गया था । यह अधिनियम की तीसरी अनुसूची में सूचीबद्ध कतिपय विधियों के प्रोद्धरण को सुकर बनाने के लिए संक्षिप्त नाम के प्रयोजन का भी उपबंध करता है । अधिकांश सूचीबद्ध विधियां अब निरसित हो चुकी है, और उपयुक्त व्यावृत्ति खंड का प्रारुपण शे-न विधियों से निपटने हेतु किया जा सकता है। अतः, इस विधि को निरसित किया जाए ।

56. भारतीय संक्षिप्त नाम अधिनियम, 1897 का अधिनियम 14

प्रवर्ग : प्रशासन से संबंधित अवशि-ट विधियां

सिफारिश : निरसन

1897 के संशोधनकारी अधिनियम के समान, यह अधिनियम भी अधिनियम की तीसरी अनुसूची में सूचीबद्ध कतिपय विधियों के प्रोद्धरण को सुकर बनाने के लिए संक्षिप्त नाम के प्रयोजन को अनुज्ञात करता है । अधिनियम का प्रयोजन अब पूरा हो चुका है अतः, इसे निरसित किया जाए । अधिकांश सूचीबद्ध विधियां अब निरसित हो चुकी है और उपयुक्त व्यावृत्ति खंड का प्रारुपण शे-न विधियों के निपटने हेतु किया जा सकता है । अतः इस विधि को निरसित किया जाए ।

57. कु-ठरोगी अधिनियम, 1898 का अधिनियम 3

प्रवर्ग : सार्वजनिक स्वास्थ्य

सिफारिश : सुसंगत राज्यों के परामर्श से निरसन

अधिनियम अकिंचन कु-ठ रोगियों के अलगाव और चिकित्सीय उपचार का उपबंध करता है । अधिनियम "कु-ठरोगी आश्रय गृह" की स्थापना करता है और इन आश्रय गृहों में कार्मिकों के नियोजन की शर्तें विहित करता है । इस अधिनियम की धारा 1(3) यह अधिदेश देता है कि यह तब तक किसी राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त नहीं होगा जब तक संबद्ध राज्य सरकार इस आशय की घो-णा नहीं करती । अधिनियम को पहले ही गुजरात, असम, नागालैंड, मेघालय, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, कर्नाटक, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, महारा-ट्र और दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली तथा चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्रों में निरसित किया जा चुका है । यह विधि जो रोग और इसके उपचार की आधुनिक सोच के पूर्णतः अनुरुप नहीं है, अतः, निरसित किया जाए । अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 14 के अतिक्रमण में होने के कारण असंवैधानिक है क्योंकि यह कु-ठ से प्रभावित लोगों के बलपूर्वक अलगाव को वैध ठहराता है । भारत कु-ठरोग द्वारा प्रभावित लोगों और उनके कुटुम्ब के सदस्यों के विरुद्ध विभेद को मिटाने के संयुक्त रा-ट्र संकल्प, 2011 (ए/आर.ई.एम./65/215) का हस्ताक्षरकर्ता है । यह

विधान इस संकल्प की भावना के विरुद्ध है । अतः, केंद्रीय को सरकार यह पता लगाना चाहिए कि क्या यह किसी अन्य राज्य में प्रवृत्त है और ऐसे किसी राज्य के परामर्श से इस विधि को निरसित किया जाए ।

58. केंद्रीय प्रांत भू-धृति अधिनियम, 1898 का अधिनियम 11

प्रवर्ग : किराया और भू-धृति

सिफारिश : सुसंगत राज्यों के परामर्श से निरसन

अधिनियम केंद्रीय प्रांतों में कृ‍ि भू-धृतियों से संबंधित विधि को समेकित और संशोधित करता है । यह किरायेदारों को पांच प्रवर्गों में विभाजित करता है और किरायेदारों द्वारा संदेय किराए से संबंधित उपबंध करता है । राज्य जो पूर्व केंद्रीय प्रांत- मध्य प्रदेश, महारा-ट्र और छत्तीसगढ़ गठित करते थे, ने अब अपने निजी किराया नियंत्रण और भू-धृति अधिनियम बना लिए हैं जो इस अधिनियम को असंगत बनाते हैं । अतः इसे निरसित किया जाए । अतः, केंद्रीय सरकार को निरसन की दृ‍ि से राज्य द्वारा इस विधि का पुनरीक्षण करने की सिफारिश करते हुए संबद्ध राज्य सरकार को लिखना चाहिए । केंद्रीय सरकार भी प्रवृत्त केंद्रीय अधिनियमों की सूची से भी इस विधि को हटा देना चाहिए ।

59. मध्य प्रांत वार्ड न्यायालय अधिनियम, 1899 का अधिनियम 24

प्रवर्ग : संपत्ति विधि

सिफारिश : निरसन

अधिनियम मध्य प्रांत के वार्ड न्यायालयों से संबंधित विधि को समेकित और संशोधित करना है । अधिनियम उपयोग में नहीं है । मध्य प्रांत अब प्रशासनिक ईकाई के रूप में अस्तित्व में नहीं है । अतः इस विधि को केंद्रीय सरकार द्वारा निरसित किया जाए क्योंकि यह न्याय प्रशासन वि-नय के अधीन आता है । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट द्वारा इसके परिशि-ट ए-5 में इस अधिनियम के निरसन की भी

सिफारिश की गई है ।

60. संशोधनकारी अधिनियम, 1901 का अधिनियम 11

प्रवर्ग : प्रशासन से संबंधित अवशि-ट विधियां

सिफारिश : निरसन

1897 के संशोधनकारी अधिनियम के समान, यह अधिनियम भी अधिनियम की तीसरी अनुसूची में सूचीबद्ध कतिपय विधियों के प्रोद्धरण को सुकर बनाने के लिए संक्षिप्त नाम के प्रयोजन को अनुज्ञात करता है । अधिनियम का प्रयोजन अब पूरा हो चुका है अतः, इसे निरसित किया जाए । अधिकांश सूचीबद्ध विधियां अब निरसित हो चुकी है और उपयुक्त व्यावृत्ति खंड का प्रारुपण शे-ा विधियों के निपटने हेतु किया जा सकता है । अतः इस विधि को निरसित किया जाए ।

61. भारतीय भूमिगत रेल अधिनियम, 1902 का अधिनियम 4

प्रवर्ग : परिवहन और अवसंरचना

सिफारिश : निरसन

अधिनियम भारतीय रेल कंपनी अधिनियम, 1895 के लागू होने का विस्तार कतिपय भूमिगत रेल कंपनियों को करता है । 1895 अधिनियम को रेल कंपनी अधिनियम, 2001 द्वारा निरसित किया गया है । 1902 विधि अब निरर्थक हो गई है । अतः, इसे निरसित किया जाए ।

62. संशोधनकारी अधिनियम, 1903 का अधिनियम 1

प्रवर्ग : प्रशासन से संबंधित अवशि-ट विधियां

सिफारिश : निरसन

1897 के संशोधनकारी अधिनियम के समान, यह अधिनियम भी अधिनियम

की तीसरी अनुसूची में सूचीबद्ध कतिपय विधियों को प्रोद्धरण को सुकर बनाने के लिए संक्षिप्त नाम के प्रयोजन को अनुज्ञात करता है । अधिनियम का प्रयोजन अब पूरा हो चुका है अतः, इसे निरसित किया जाए । अधिकांश सूचीबद्ध विधियां अब निरसित हो चुकी है और उपयुक्त व्यावृत्ति खंड का प्रारुपण शे-ा विधियों के निपटने हेतु किया जा सकता है । अतः, इस विधि को निरसित किया जाए ।

63. भारतीय दंड विधि संशोधन अधिनियम, 1908 को अधिनियम 14

प्रवर्ग : आपराधिक न्याय

सिफारिश : निरसन

अधिनियम कतिपय अपराधों के शीघ्र विचारण और लोकशांति के खतरनाक संगमों के प्रति-ोध का उपबंध करता है । भारत में उभर रहे रा-ट्रवादी आंदोलन को रोकने के लिए इसका अधिनियमन किया गया था । सारतः यह लोक संगमों से संबंधित विधि का संशोधन करता है । तथापि, क्योंकि संगमों से संबंधित विधि को भारतीय दंड संहिता, 1860 के अधीन सुपरिभाि-त किया गया है, अतः यह विधि आवश्यक नहीं है । न ही हाल ही में इसके उपयोग का कोई साक्ष्य है । अतः, इसे निरसित किया जाए ।

64. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1912 का अधिनियम 2

प्रवर्ग : पूर्त और धार्मिक संस्था ; सहकारी सोसाइटी

सिफारिश : सुसंगत राज्यों के परामर्श से निरसन

अधिनियम कृ-ाकों, कारीगरों और सीमित साधन वाले व्यक्तियों के बीच स्व-सहायता के संवर्धन के लिए सहकारी सोसाइटी की विरचना करने और उस प्रयोजन के लिए सहकारी सोसाइटियों से संबंधित विधि को संशोधित करने को सुकर बनाता है । सहकारी सोसाइटी अब सूची 2 की प्रवि-टि 43 पर है और अधिकांश राज्यों के पास अपना निजी सहकारी सोसाइटी अधिनियम है, अतः, इस

अधिनियम को निरसित किया जाए । अतः, केंद्रीय सरकार को निरसन की दृ‍ि से राज्य द्वारा इस विधि का पुनरीक्षण करने की सिफारिश करते हुए संबद्ध राज्य सरकार को लिखना चाहिए । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट 5) द्वारा इस अधिनियम के निरसन की भी सिफारिश की गई है ।

65. बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम विधियां अधिनियम, 1912 का अधिनियम 7

प्रवर्ग : राज्य पुनर्गठन और विधियों का विस्तार

सिफारिश : सुसंगत राज्यों के परामर्श से निरसन

अधिनियम बिहार और उड़ीसा प्रांत के सृजन के पश्चात्, बंगाल के फोर्ट विलियम प्रेसीडेन्सी, बिहार, उड़ीसा और असम प्रांत को विधियों के लागू होने का उपबंध करता है । यह गवर्नर जनरल सपरि-द् को इन राज्य क्षेत्रों को कतिपय अधिनियमों के लागू होने का विस्तार करने के लिए सशक्त करता है । ऐसी प्रशासनिक ईकाइयां जिनको यह विधि निर्दि-ट करती है, अब अस्तित्व में नहीं हैं, अतः इस विधि को निरसित किया जाए ।

66. दिल्ली विधियां अधिनियम, 1912 का अधिनियम 13

प्रवर्ग राज्य पुनर्गठन और विधियों का विस्तार

सिफारिश : सुसंगत राज्यों के परामर्श से निरसन

यह अधिनियम दिल्ली प्रांत से जोड़े गए, जो पहले पंजाब में था, कतिपय राज्यक्षेत्रों में प्रवृत्त विधि को घोि‍नत करने के लिए अधिनियमित किया गया था । दिल्ली प्रांत का प्रशासन भी मुख्य आयुक्त में निहित था । यह विधि इन राज्यक्षेत्रों के वर्तमान प्रशासन में अब सुसंगत नहीं है । अतः, इस विधि को निरसित किया जाए ।

67. स्थानीय प्राधिकार उधार अधिनियम, 1914 का अधिनियम 9

प्रवर्ग : वित्तीय विधियां

सिफारिश : सुसंगत राज्यों के परामर्श से निरसन

अधिनियम स्थानीय प्राधिकारियों को उधार देने से संबंधित विधि को समेकित और संशोधित करता है । स्थानीय प्राधिकरण अब राज्य का वि-नय है और यह विधि उपयोग में नहीं है । अतः, केंद्रीय सरकार को निरसन की दृ-टि से राज्य द्वारा इस विधि का पुनरीक्षण करने की सिफारिश करते हुए संबद्ध राज्य सरकार को लिखना चाहिए । केंद्रीय सरकार को प्रवृत्त केंद्रीय अधिनियमों की सूची से भी इस विधि को हटा देना चाहिए ।

68. दिल्ली विधियां अधिनियम, 1915 का अधिनियम 7

प्रवर्ग : राज्य पुनर्गठन और विधियों का विस्तार

सिफारिश : सुसंगत राज्यों के परामर्श से निरसन

इस अधिनियम का अधिनियमन दिल्ली प्रांत से जोड़े गए कतिपय राज्यक्षेत्र जो पहले अवध और आगरा राज्यक्षेत्र में सम्मिलित थे, में प्रवृत्त विधि को घोनित करने के लिए किया गया था । यह विधि इन राज्यक्षेत्रों के वर्तमान प्रशासन में सुसंगत नहीं है । अतः, इस विधि को निरसित किया जाए ।

69. अनुसूचित क्षेत्र (विधियों की एकरुपता) अधिनियम, 1951 का अधिनियम 37

प्रवर्ग : राज्य पुनर्गठन और विधियों का विस्तार

सिफारिश : निरसन

अधिनियम असम राज्य के दारांग और लखीमपुर जिलों में प्रवृत्त विधियों को

अनुसूचित क्षेत्र (यह ऐसे क्षेत्र को निर्दि-ट करता है जो अधिनियम में उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, न कि संविधान के अधीन अनुसूचित क्षेत्र) में प्रवृत्त कतिपय विधियों को सम्मिलित करता है । अधिनियम में यह उपबंध है कि अनुसूचित क्षेत्रों में प्रवृत्त सभी विधियां नियत दिन (अधिनियम में यथाविनिर्दि-ट) के पश्चात् प्रवृत्त नहीं रहेंगे । नियत दिन के पश्चात्, दारांग में प्रवृत्त विधियां अनुसूची के पैरा 1 में वर्णित क्षेत्रों में प्रवृत्त हो गई और लखीमपुर में प्रवृत्त विधियां पैरा 2 और 3 में विनिर्दि-ट क्षेत्रों में प्रवृत्त हो जाएंगी । इस अधिनियम का प्रयोजन अब पूरा हो चुका है । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1) और भारत के विधि आयोग के सदस्य सचिव को पत्र सं. 25/04/2014 - ओ. एम. एंड सी. तारीख 18 सितंबर, 2014 में योजना आयोग द्वारा भी इस अधिनियम के निरसन की सिफारिश की गई है ।

70. रेल कंपनी (आपात उपबंध) अधिनियम, 1951 का अधिनियम 51

प्रवर्ग : रा-ट्रीयकरण

सिफारिश : निरसन

अधिनियम कतिपय विशे-ा मामलों में रेल कंपनी के उचित प्रबंध और प्रशासन का उपबंध करता है । अधिनियम केंद्रीय सरकार को इस दशा में किसी रेल कंपनी के क्रियाकलाप का प्रबंध करने के लिए कतिपय लोगों को नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है कि कंपनी उसका उपयोग करने वाले व्यक्तियों की सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है या उस रेल का उपयोग कर रहे किसी व्यापार या उद्योग का गंभीर विस्थापन कारित करती है । भारत में रेल को 1951 में रा-ट्रीयकृत कर दिया गया और रेल से संबंधित विधियों को अब रेल अधिनियम, 1989 के रूप में समेकित कर दिया गया है । इस अधिनियम के उपयोग का हाल में कोई साक्ष्य नहीं है । अतः केंद्रीय सरकार को इस अधिनियम को निरसित करना चाहिए । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1) और भारत के विधि आयोग के सदस्य सचिव को पत्र सं. 25/04/2014- ओ.एम. एंड सी तारीख 18 सितंबर,

2014 में योजना आयोग द्वारा भी इस अधिनियम के निरसन की सिफारिश की गई है ।

71. अनुसूचित क्षेत्र (विधियों की एकरुपता) अधिनियम, 1953 का अधिनियम 16

प्रवर्ग : राज्य पुनर्गठन और विधियों का विस्तार

सिफारिश : निरसन

अधिनियम असम राज्य के नवगांव और शिवसागर जिलों में प्रवृत्त विधियों को अनुसूचित क्षेत्र (यह ऐसे क्षेत्र को निर्दि-ट करता है जो अधिनियम में उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, न कि संविधान के अधीन अनुसूचित क्षेत्र) में प्रवृत्त कतिपय विधियों को सम्मिलित करता है । अधिनियम में यह उपबंध है कि अनुसूचित क्षेत्रों में प्रवृत्त सभी विधियां नियत दिन (अधिनियम में यथाविनिर्दि-ट) के पश्चात् प्रवृत्त नहीं रहेंगे । नियत दिन के पश्चात्, नवगांव में प्रवृत्त विधियां अनुसूची के पैरा 1 में वर्णित क्षेत्रों में प्रवृत्त हो गई और शिवसागर में प्रवृत्त विधियां पैरा 2 और 3 में विनिर्दि-ट क्षेत्रों में प्रवृत्त हो जाएंगी । इस अधिनियम का प्रयोजन अब पूरा हो चुका है । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1) और भारत के विधि आयोग के सदस्य सचिव को पत्र सं. 25/04/2014 - ओ. एम. एंड सी. तारीख 18 सितंबर, 2014 में योजना आयोग द्वारा भी इस अधिनियम के निरसन की सिफारिश की गई है ।

72. लुसाई पहाड़ी जिला (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 1954 का अधिनियम 18

प्रवर्ग : राज्य पुनर्गठन और विधियों का विस्तार

सिफारिश : निरसन

अधिनियम ने लुसाई पहाड़ी जिला (असम के एक जनजातीय क्षेत्र) का नाम परिवर्तित किया । इस अधिनियम के आरंभ के पश्चात्, लुसाई पहाड़ी जिले को

मिजो जिला के रुप में जाना जाता था । अधिनियम की छठी अनुसूची में संशोधन किया जिससे कि जहां-जहां 'लुसाई पहाड़ी जिले' का उल्लेख है, के स्थान पर 'मिजो जिला' रखें । अधिनियम ने अब अपना प्रयोजन पूरा कर लिया है । अतः, केंद्रीय सरकार को उपयुक्त व्यावृत्ति खंड के साथ इस अधिनियम को निरसित करना चाहिए । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट-ख) द्वारा इस अधिनियम के पुनर्विलोकन की सिफारिश की गई है ।

73. आमेलित क्षेत्र (विधियां) अधिनियम, 1954 का अधिनियम 20

प्रवर्ग : राज्य पुनर्गठन और विधियों का विस्तार

सिफारिश : निरसन

इस अधिनियम का अधिनियमन ऐसे क्षेत्रों को कतिपय विधि विस्तारित करने के लिए किया गया था जो संविधान के प्रारंभ के पूर्व अपवर्जित क्षेत्र के रूप में प्रशासित किए जा रहे थे । अधिनियम में, 5 अनुसूचियां जो बिहार, बम्बई, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बांगल राज्यों के लिए एक-एक थी । प्रत्येक अनुसूचियों के पहले स्तंभ में वर्णित अधिनियम आमेलित क्षेत्र (दूसरे स्तंभ में वर्णित) को लागू बनाए गए थे । इस अधिनियम का प्रयोजन अब पूरा हो चुका है । अब भारत की सभी विधियों के राज्यक्षेत्रीय विस्तार का उल्लेख प्रत्येक विधि के 'संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ' खंड में होता है । अतः केंद्रीय सरकार को इस अधिनियम को निरसित करना चाहिए । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1) द्वारा भी इस अधिनियम के निरसन की सिफारिश की गई है ।

74. शिलांग (राइफल रेंज उमलांग) विधियों की छावनी एकरुपता अधिनियम, 1954 का अधिनियम 31

प्रवर्ग : राज्य पुनर्गठन और विधियों का विस्तार

सिफारिश : निरसन

अधिनियम खासी और जयन्तिया पहाड़ी जिले में प्रवृत्त विधियों को अनुसूचित क्षेत्रों में प्रवृत्त कतिपय विधियों को सम्मिलित करता है । अधिनियम में यह उपबंध है कि अनुसूचित क्षेत्रों में प्रवृत्त सभी विधियां नियत दिन के पश्चात् प्रवृत्त नहीं रह जाएंगी । नियत दिन के पश्चात् खासी और जयंतियां पहाड़ी जिले में प्रवृत्त विधियां अनुसूची में वर्णित क्षेत्रों में प्रवृत्त हो गई । इस अधिनियम का प्रयोजन अब पूरा हो चुका है । अतः, केंद्रीय सरकार को इस अधिनियम का निरसन करना चाहिए । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1) द्वारा भी इस अधिनियम के निरसन की सिफारिश की गई है ।

75. नागालैंड विधान सभा (प्रतिनिधित्व में परिवर्तन) अधिनियम, 1968 का अधिनियम 16

प्रवर्ग : राज्य पुनर्गठन और विधियों का विस्तार

सिफारिश : निरसन

अधिनियम नागालैंड विधान सभा में प्रतिनिधि के परिवर्तन का उपबंध करता है और नागालैंड राज्य अधिनियम, 1962 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में पारिणामिक संशोधन किए । अधिनियम ने नागालैंड राज्य अधिनियम, 1962 की धारा 11 और अधिनियम की दूसरी अनुसूची के साथ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 7(1) के परंतुक को भी संशोधित किया । चूंकि संशोधन सम्यक् रूप से किए गए, अधिनियम का प्रयोजन पूरा हो चुका है । अतः, केंद्रीय सरकार को उपयुक्त व्यावृत्ति खंड के साथ इस अधिनियम को निरसित करना चाहिए । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट -ख) द्वारा भी इस अधिनियम को निरसित करने की सिफारिश की गई है ।

76. लेवी चीनी कीमत समानीकरण निधि अधिनियम, 1976 का अधिनियम 31

प्रवर्ग : खाद्य और सार्वजनिक वितरण

सिफारिश : निरसन

अधिनियम यह सुनिश्चित करने के लिए आम जनता के हित में एक निधि की स्थापना का उपबंध करता है कि संपूर्ण भारत में लेवी चीनी की कीमत एक जैसी हो सके । 'लेवी चीनी' उस चीनी उपज का 10% है जो प्रत्येक चीनी निर्यात सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए कम दर पर सरकार को बेचता है । अधिनियमित चीनी की चालू प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय कैबिनेट ने व-र्ा 2013 में आरंभतः दो व-र्ा की लेवी चीनी को हटाने का अनुमोदन किया । अतः इस अधिनियम की आवश्यकता अब नहीं रह गई है । अतः, केंद्रीय सरकार को उपयुक्त व्यावृत्ति खंड का उपबंध कर इस अधिनियम को निरसित कर देना चाहिए । योजना आयोग द्वारा भारत के विधि आयोग के सदस्य सचिव को अपने पत्र सं. 25/04/2014 - ओ.एम. एंड सी. तारीख 18 सितंबर, 2014 में इस अधिनियम के निरसन की सिफारिश की गई है ।

77. भारतीय लौह और इस्पात कंपनी (शेयरों का अर्जन) अधिनियम, 1976 का अधिनियम

प्रवर्ग : रा-ट्रीयकरण

सिफारिश : निरसन

अधिनियम कंपनी के क्रियाकलापों का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने की दृ-टि से भारतीय लौह और इस्पात कंपनी लिमिटेड के कतिपय शेयरों के अर्जन का उपबंध करता है । इस अधिनियम के माध्यम से, भारतीय लौह और इस्पात कंपनी लि. के सभी शेयर केंद्रीय सरकार को अंतरित हो गए और शेयर धारकों को 7.2 करोड़ का प्रतिकर दिया गया । 1976 में इस अधिनियम के अधीन शेयरों के अर्जन के अनुसरण में व-र्ा 1978 में इस्पात कंपनी (पुनर्संरचना) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम ने भारतीय लौह और इस्पात कंपनी लि. को पूर्णतः स्वामित्वाधीन भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. का समनु-ंगी बनाया । 1976 अधिनियम का

प्रयोजन केवल भारतीय लौह और इस्पात कंपनी लि. के शेयर केंद्रीय सरकार को अंतरित करना था जो पहले ही पूरा हो चुका है, अतः अधिनियम अब निरर्थक है अतः केंद्रीय सरकार को इस अधिनियम को निरसित करना चाहिए । निरसनकारी अधिनियम में उपयुक्त व्यावृत्ति खंड जोड़ा जाए जिससे कि इस अधिनियम के अधीन प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशे-ाधिकार, बाध्यता या दायित्व की रक्षा की जा सके । इस्पात मंत्रालय ने कैबिनेट सचिवालय को अपने पत्र सं. 12(45)/2014-सेल (ओ.पी.) तारीख 20 अगस्त, 2014 द्वारा इस अधिनियम के निरसन की भी सिफारिश की है ।

अध्याय 3

निरसन के लिए सिफारिश किए गए स्थायी अध्यादेश

3.1 पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट ने अपने परिशि-ट ए-4 में 17 स्थायी युद्धकालिक अध्यादेशों के निरसन की सिफारिश की थी । ये अध्यादेश भारत शासन अधिनियम, 1935 की नौवी अनुसूची (नौवी अनुसूची ने भारत शासन अधिनियम, 1919 की कतिपय धाराओं के चालू रहने की अनुज्ञा दी थी) की धारा 72 के अधीन प्रख्यापित किए गए थे । धारा आपात् के मामलों में अध्यादेश प्रख्यापित करने के लिए गवर्नर जनरल सपरि-द् को शक्ति प्रदान करती है । सामान्यतः, धारा 72 में यह उपबंध है कि अध्यादेश छह मास की अवधि तक सीमित होंगे । तथापि, छह मास खंड का प्रवर्तन भारत और वर्मा आपात उपबंध अधिनियम, 1940 की धारा 1(3) द्वारा निलंबित किया गया और 17 युद्धकालिक अध्यादेश तब प्रख्यापित किए गए थे जब 1940 अधिनियम प्रवृत्त था ।

3.2 इन अध्यादेशों को बाद में रा-ट्रपति विधियों के अनुकूल आदेश, 1950 द्वारा विधियों के अनुसार अनुकूलित किया गया । इन अध्यादेशों की प्रकृति को उच्चतम न्यायालय द्वारा **हंसराज मूल जी** बनाम **बम्बई राज्य** (ए.आई.आर. 1957 एस.सी. 497) द्वारा स्थापित किया गया । इस मामले में अपीलार्थी को अभिधान बैंक नोट (निर्विधान) अध्यादेश 1946 के अधीन व-र्ा 1953 में अभियोजित किया गया । उसने यह तर्क किया कि व-र्ा 1946 में भारत और वर्मा आपात उपबंध अधिनियम, 1940 के अधीन आपात के अंत के साथ, यह अध्यादेश व्यपगत हो गया । अपीलार्थी का तर्क सार इस प्रकार था :

- चूंकि अध्यादेश का प्रख्यापन आपात शक्तियों के प्रयोजन में किया गया था इसलिए यह 1 अप्रैल, 1946 को स्वतः व्यपगत हो गया जब यह घोि-त किया गया कि आपात का अंत हो गया है ।

- चूंकि भारत शासन अधिनियम, 1935 की नौवीं अनुसूची की धारा 72 का 1 अप्रैल, 1946 से प्रभाव में प्रत्यावर्तित होने के कारण, व्यक्ति को 1 अप्रैल,

1946 के पश्चात् अध्यादेश का जारी रहना न्यायोचित ठहराने के लिए उसके मूल उपबंध पर विचार करना चाहिए ।

3.3 तथापि, उच्चतम न्यायालय ने, न्यायमूर्ति एन. एच. भगवती द्वारा दिए गए निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया :

'यदि भारत और वर्मा (आपात उपबंध) अधिनियम, 1940 की धारा 1(3) के प्रवर्तन द्वारा, 'इसके प्रख्यापन से छह मास से अनधिक समय के लिए' शब्दों का उस अधिनियम की धारा 3 में विनिर्दि-ट अवधि अर्थात् 27 जून, 1940 से 1 अप्रैल, 1946 तक के दौरान (भारत शासन अधिनियम, 1919) की धारा 72 से लोप कर दिया गया, तो प्रश्नगत अध्यादेश की कालावधि की कोई सीमा नहीं थी और अपनी अवधि की किसी सीमा के बिना भारतीय विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम की तरह विधि का बल रखने वाला अध्यादेश *तब तक प्रवृत्त बना रहेगा जब तक निरसित नहीं किया जाता ।*

(बल दिया गया ।)

3.4 अतः, इन अध्यादेशों को कानून माना गया । उदाहरणार्थ, करेंसी अध्यादेश, 1940 को अंततः सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 द्वारा निरसित किया गया । वित्त की स्थायी समिति (2009-10) ने अपनी 22वीं रिपोर्ट में सिक्का निर्माण विधेयक, 2009 के संबंध में करेंसी अध्यादेश, 1940 के निरसन पर निम्नलिखित चर्चा का उल्लेख किया :

करेंसी अध्यादेश, 1940 का प्रख्यापन भारत और वर्मा (आपात उपबंध) अधिनियम, 1940 के पारित होने के पश्चात् किया गया जिसमें यह उपबंध था कि 27 जून, 1940 से आरंभ होने वाले आपात की अवधि के दौरान किए गए अध्यादेश छह मास की अवधि के भीतर व्यपगत नहीं होंगे । इसने करेंसी अध्यादेश, 1940 को सक्षम विधानमंडल के अधिनियम की तरह स्थायी प्रकृति का बनाया और प्रवृत्त रहना जारी रखा । अध्यादेश जारी रहा और संविधान के अनुच्छेद 372 के

खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन जारी 'विधियों' के अनुकूल आदेश, 1950 के रा-ट्रपतीय प्रख्यापन द्वारा अंगीकृत किया गया ।

3.5 भारत के संविधान की स्कीम के अधीन, अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति इस आधार पर निर्भर करती है कि चूंकि कार्यपालिका विधायिका के विश्वास का उपभोग करती है इसलिए इसे अस्थायी विधियां पारित करने की अनुज्ञा दी जानी चाहिए जो अप्रत्याशित आपात परिस्थितियां जो उस समय पैदा होती है से निपट सके जब संसद् सत्र में नहीं होता । अध्यादेशों के प्रख्यापन से संबंधित संवैधानिक स्थिति को **डी. सी. वाधवा और अन्य** बनाम **बिहार राज्य और अन्य** [(1987)1 एस. सी. सी. 378] वाले मामले में स्थापित किया गया, जहां उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि संविधान द्वारा सीमित अवधि से परे अध्यादेश का जारी रखना कार्यपालिका की ओर से इस शक्ति का छद्म प्रयोग होगा । स्थायी अध्यादेश संविधान की स्कीम के विरुद्ध जाता है चूंकि अनुच्छेद 123 यह अधिदेश देता है कि प्रत्येक अध्यादेश संसद् के पुनः समवेत होने से छह सप्ताह की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा । अतः, सिद्धांततः, इन युद्धकालिक अध्यादेशों को निरसित किया जाए और यदि आवश्यक हो, कानून द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए ।

36. पी. सी. जैन आयोग द्वारा निरसन के लिए सिफारिश किए गए 17 अध्यादेशों में से अब तक 6 अध्यादेशों को विभिन्न विधियों द्वारा निरसित किया जा चुका है । शे-ा 11 स्थायी अध्यादेशों पर निम्नलिखित सिफारिशें की गई हैं :

1. युद्ध क्षतियां अध्यादेश, 1941 का अध्यादेश 7

प्रवर्ग : श्रम विधियां

सिफारिश : निरसन

अध्यादेश केंद्रीय सरकार को युद्ध के दौरान क्षतिग्रस्तों की बावत राहत देने का उपबंध करने की स्कीम बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है । इस अध्यादेश का प्रयोजन युद्ध क्षति (प्रतिकर बीमा) अधिनियम, 1943 द्वारा समाहित कर लिया गया

जो नियोजकों पर युद्ध क्षतियां प्राप्त कर्मकारों को प्रतिकर देने का दायित्व अधिरोपित करता है और ऐसे दायित्व के विरुद्ध कर्मकारों के बीमा का उपबंध करता है । अतः, केंद्रीय सरकार को इस अध्यादेश को निरसित कर देना चाहिए ।

2. सामूहिक जुर्माना अध्यादेश, 1942 का अध्यादेश 20

प्रवर्ग : आपराधिक न्याय

सिफारिश : निरसन

अध्यादेश सामूहिक जुर्माने के अधिरोपण का उपबंध करता है । यह केंद्रीय सरकार को क्षेत्र के निवासियों पर सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति प्रदान करता है यदि यह प्रतीत होता है कि निवासी भारत की रक्षा, लोक सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था के अनुरक्षण, युद्ध के प्रभावी अभियोजन या समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक प्रदायों या सेवाओं के अनुरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले अपराधों से संबद्ध हैं या दु-प्रेरण कर रहे हैं या ऐसे अपराधों के करने से जुड़े व्यक्तियों को आश्रय प्रदान कर रहे हैं । सामूहिक जुर्माने का अधिरोपण अनुच्छेद 14, 20 और 21 के अतिक्रमण में हो सकता है । **लखन राय** बनाम **बिहार राज्य** [1992(1) बी. एल. जे. आर. 38] वाले मामले में पटना उच्च न्यायालय ने बिहार सामूहिक जुर्माना (अधिरोपण) अधिनियम, 1982 पर विचार किया और इस आधार पर कायम रखा कि इसमें जुर्माने के अधिरोपण से संबंधित सुनवाई और अपील जैसे पर्याप्त सुरक्षोपाय हैं । इस अध्यादेश में ऐसा कोई सुरक्षोपाय नहीं है जो इसे संवैधानिक ठहरा सके । इसके अतिरिक्त, इस अध्यादेश के ज्ञात उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं है । अतः, इसे निरसित किया जाए ।

3. सशस्त्र बल (विशे-न शक्तियां) अध्यादेश, 1942 का अध्यादेश 41

प्रवर्ग : भारत की रक्षा और सशस्त्र बल

सिफारिश : निरसन

अध्यादेश सशस्त्र बलों के कतिपय रैंक के अधिकारियों को विशे-ा शक्तियां प्रदान करता है । इस अध्यादेश का प्रख्यापन भारत छोड़ों आंदोलन को दबाने के लिए 15 अगस्त, 1942 को गवर्नर जनरल सपरि-ाद् द्वारा किया गया था । सशस्त्र बल विशे-ा शक्तियां अधिनियम, 1958 के उपबंध स्प-टतः अध्यादेश पर अभिभावी हैं । अतः, इस अध्यादेश को निरसित किया जाए ।

4. सार्वजनिक स्वास्थ्य (आपात उपबंध) अध्यादेश, 1944 का अध्यादेश 21

प्रवर्ग : सार्वजनिक स्वास्थ्य

सिफारिश : राज्यों के परामर्श से निरसन

इस अध्यादेश में मानवीय रोगों के फैलाने के निवारण, सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुरक्षोपाय, पर्याप्त चिकित्सा सेवा और समुदाय के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने और अनुरक्षण के लिए विशे-ा उपबंध किए गए थे । यह समुचित सरकार को ऐसे उपाय करने के लिए सशक्त करता है जो इस अध्यादेश के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो और उस बावत सरकार के आदेशों का पालन करने हेतु स्थानीय प्राधिकारी को बाध्य बनाता है । इस अध्यादेश के प्रयोजनों के लिए 'समुचित सरकार' से छावनी प्राधिकारियों के संबंध में केंद्रीय सरकार और अन्य स्थानीय प्राधिकारियों के संबंध में राज्य सरकार अभिप्रेत है । इस अध्यादेश के हाल ही में उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं है । महामारी अधिनियम, 1897 इसी प्रकार के वि-ायों के बारे में है और राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार को विशे-ा उपाय करने और खतरनाक महामारी के सबंध में विनियम विहित करने की शक्ति प्रदान करता है । तथापि, चूकि सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता अब राज्य वि-ाय है (संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2 की प्रविन्टि 6 देखें), इस अध्यादेश को निरसित करना चाहिए ।

5. दंड विधि संशोधन अध्यादेश, 1944 का अध्यादेश 38

प्रवर्ग : आपराधिक न्याय

सिफारिश : विद्यमान विधि के संशोधनों के साथ निरसन

यह अध्यादेश, जो कतिपय अपराधों के माध्यम से उपाप्त संपत्ति के व्ययन या छिपाव को निवारित करने के लिए प्रख्यापित किया गया था, का व्यापकतः उपयोग भ्र-टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (पोका) को मिलाकर किया जाता है । यह ऐसी संपत्ति की कुर्की करने की अनुज्ञा प्रदान करता है जहां सरकार यह विश्वास करती है कि अनुचित अपराध किया गया था । अध्यादेश के अधीन अनुसूचित अपराध पोका के अधीन अपराध सम्मिलित करते हैं । जहां इस अध्यादेश को केवल निरसित नहीं किया जा सकता वहीं पोका में उपयुक्त संशोधन किया जाना चाहिए जिससे कि अध्यादेश में रेखाचित्रित परिस्थितियों के अधीन संपत्ति की कुर्की स्थायी अध्यादेश जो सांविधानिक स्कीम के अधीन जाता है, के बजाए कानून के माध्यम से हो सके ।

6. सिकन्दराबाद विवाह विधिमान्यकरण अध्यादेश, 1945 का अध्यादेश 30

प्रवर्ग : स्वीय विधियां

सिफारिश : निरसन

यह अध्यादेश बंगलौर विवाह विधिमान्यकरण अधिनियम, 1936 के समरुप है । यह व-र्ा 1944 में सिकन्दराबाद के कतिपय आदरणीय व्यक्तियों द्वारा संपादित एकल विवाह को विधिमान्य ठहराने के लिए प्रख्यापित किया गया था । आदरणीय व्यक्तियों ने भूलवश क्रिश्चियन न कि भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1972 के अधीन एक भारतीय क्रिश्चियन का विवाह कराया था । इस अध्यादेश की आवश्यकता स्प-टत- समाप्त हो गई है । अतः, केंद्रीय सरकार को उपयुक्त व्यावृत्ति खंड सम्मिलित करने के पश्चात् इस अध्यादेश को निरसित करना चाहिए ।

7. युद्ध उपदान (आयकर छूट) अध्यादेश 1945 का अध्यादेश 24

प्रवर्ग : श्रम विधियां

सिफारिश : निरसन

यह अध्यादेश यह सुनिश्चित करने के लिए प्रख्यापित किया गया था कि संदत्त किसी युद्ध उपदान को आयकर के प्रयोजन के लिए व्यक्ति की कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा । इस अध्यादेश के अधीन कोई प्रतिवेदित मामला नहीं है । केंद्रीय सरकार को इस अध्यादेश को निरसित करना चाहिए क्योंकि इसका प्रयोजन पूरा हो चुका है और किसी लंबित मुकदमे को पर्याप्त रूप से सुरक्षित करने के लिए उपयुक्त व्यावृत्ति खंड सम्मिलित करना चाहिए ।

8. बैंक नोट (संपत्ति की घो-णा) अध्यादेश, 1946 का अध्यादेश 2

प्रवर्ग : वित्तीय विधियां

सिफारिश : निरसन

यह अध्यादेश बैंकों और सरकारी को-ागारों द्वारा धारित कतिपय बैंक नोटों से संबंधित जानकारी देने की अपेक्षा करता है । अध्यादेश का प्रयोजन भारत की कतिपय करेंसी के विमुद्रीकरण का उपबंध करना था । अध्यादेश प्रत्येक बैंक या सरकारी को-ागार से 11 जनवरी, 1946 तक उनके द्वारा धारित बैंक नोटों के कुल मूल्य से संबंधित ब्यौरे तैयार करने और भारतीय रिजर्व बैंक को भेजने की अपेक्षा करता है । अध्यादेश स्प-टतः नियतकालिक था और अब अप्रचलित हो गया है ।

9. दंड विधि संशोधन अध्यादेश, 1946 का अध्यादेश 6

प्रवर्ग : आपराधिक न्याय

सिफारिश : निरसन

इस अध्यादेश का प्रयोजन भ्र-टाचार और घूसखोरी में लिप्त लोक सेवकों के निवारक के रूप से साबित करने के लिए था । यह अब भ्र-टाचार निवारण

अधिनियम, 1988 के अधीन प्रशासित है और यह अध्यादेश उपयोग में नहीं है । अतः केंद्रीय सरकार को इस अध्यादेश को निरसित करना चाहिए ।

10. युद्ध की समाप्ति (परिभा-ा) अध्यादेश, 1946 का अध्यादेश 10

प्रवर्ग : भारत की रक्षा और सशस्त्र बल

सिफारिश : निरसन

इस अध्यादेश ने 'वर्तमान युद्ध' अर्थात् दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति की तारीख अवधारित किया था । इस अध्यादेश का प्रयोजन ऐसी सही तारीख नियत करना था जिसको अस्थायी युद्धकालिक उपाय समाप्त होंगे । इस अध्यादेश का प्रयोजन पूरा हो चुका है और उपयुक्त व्यावृत्ति खंड के साथ इसे निरसित किया जाना चाहिए ।

11. मिलिट्री परिचर्या सेवा अध्यादेश, 1943 का अध्यादेश 30

प्रवर्ग : भारत की रक्षा और सशस्त्र बल

सिफारिश : विद्यमान विधि के संशोधन के साथ निरसन

अध्यादेश ने संघ के सशस्त्र बल के भाग के रूप में भारतीय मिलिट्री परिचर्या सेवा (आई.एम.एन.एस.) नाम के एक बल का गठन किया । यह अध्यादेश आई. एम. एन. एस. में नियुक्ति के लिए पात्रता, बर्खास्तगी की प्रक्रिया और आई. एम. एन. एस. के गठन जैसे वि-नयों का उपबंध करता है । आई. एम. एन. एस. अब सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा (ए.एफ.एम.एस.) का एक अभिन्न भाग है । स्वतंत्रता के पश्चात्, भारत के विशे-ा राजपत्र की अधिसूचना द्वारा सेना अधिनियम, 1950 को उपयुक्त उपांतरण और अनुकूलन के साथ आई. एम. एन. एस. के अधिकारियों को लागू बनाया गया । ये अनुकूलन और उपांतरण सेना आदेश (ए.ओ.) 197/59 में अंतर्वि-ट हैं तथापि, अध्यादेश में संशोधन करते समय जिससे कि आई. एम. एन. एस. के सेना अधिनियम, 1950 लागू हो सके, तत्स्थानी

संशोधन सेना अधिनियम में नहीं किए गए । परिणामतः, अध्यादेश के उपबंधों का उपयोग अब भी आई. एम. एन. एस. के सदस्यों के निबंधनों और सेवाशर्तों से संबंधित विवाद के न्यायनिर्णयन में किया जाता है । जहां यह अध्यादेश मात्र निरसित नहीं हो सकता है वहीं आई.एम.एन.एस. के सदस्यों से संबंधित उपबंध शामिल करने के लिए सेना अधिनियम, 1950 में उपयुक्त संशोधन किए जाने चाहिए ।

अध्याय 4

आंशिक निरसन के लिए सिफारिश की गई राज्य पुनर्गठन विधियां

4.1 यह अध्याय ऐसे कतिपय राज्य पुनर्गठन विधियों की प्रास्थिति के बारे में है जिन पर पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट द्वारा भी विचार किए गए थे । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट ने अपने परिशि-ट ख में 35 राज्य पुनर्गठन अधिनियमों के सूची बनाई थी और यह सिफारिश की थी कि इन पुनर्गठन अधिनियमों का पुनर्विलोकन जो सुसंगत नहीं है, उनमें से कुछ के निरसन पर विचार करने हेतु किया जाना चाहिए ।

4.2 विधि आयोग की यह राय है कि इन सभी राज्य पुनर्गठन अधिनियमों को उनकी समग्रता में निरसित नहीं किया जा सकता है । राज्य पुनर्गठन अधिनियमों का अधिनियमन न केवल उनके विद्यमान राज्यों की सीमाओं के परिवर्तन के लिए बल्कि उससे संबद्ध कतिपय मामलों का उपबंध करने के लिए किया गया था । संसद् को इस तथ्य की जानकारी थी कि राज्य पुनर्गठन कई जटिल समस्याओं को पैदा करेगा अतः सातत्यता आधार पर इन समस्याओं से निपटने के लिए इन अधिनियमों में उपबंध सम्मिलित किए गए थे । **महारा-ट्र राज्य** बनाम **नारायण शामराव पुराणिक और अन्य** [(1982) 3 एस. सी. सी. 519] वाले मामले में, उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 कानूनी पुस्तक पर विधान का स्थायी भाग है और जब तक भिन्न आशय प्रतीत न हो, तब तक इसके उपबंधों का समय-समय पर उन समस्याओं को दूर करने के लिए उपयोग किया जा सकेगा जो राज्य पुनर्गठन से पैदा हों । उच्चतम न्यायालय ने साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 14 का अवलंब लिया जो यह उपबंध करती है कि जहां किसी केंद्रीय अधिनियम या विनियम द्वारा कोई शक्ति प्रदत्त की जाती है तो उस शक्ति का प्रयोग समय-समय पर जब अवसर उत्पन्न हो, किया जा सकेगा। उच्चतम न्यायालय ने स्प-ट रूप से इस मत को अस्वीकार किया कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम संक्रमणकालीन प्रकृति के हैं और अभिनिर्धारित किया कि इन अधिनियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियां समय के व्यपगत होने द्वारा "क्षीण" नहीं होती है । परिणामतः, राज्य पुनर्गठन अधिनियमों का उपयोग पुनर्गठन पूरा

होने के काफी समय बाद भी राज्य पुनर्गठन के आनु-ंगिक वि-ायों के लिए किया जा रहा है । उदाहरणार्थ, व-र् 2012 में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 का उपयोग मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा के उच्च न्यायालयों की स्थापना के लिए किया गया ।

4.3 इस प्रकार, राज्य पुनर्गठन अधिनियमों के कतिपय उपबंध अब भी सुसंगत है और उन्हें निरसित नहीं किया जा सकता है जबकि अन्य संक्रमण प्रकृति हैं और उन्हें हटाया जा सकता है । अतः, यह अध्याय नीचे लिखे राज्य पुनर्गठन अधिनियमों के आंशिक निरसन की सिफारिश करता है ।

4.4 पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट के परिशि-ट में वर्णित 35 राज्य पुनर्गठन अधिनियमों में से, 7 को व-र् 2001 में दो सदस्यीय विधानक्षेत्र (उत्सादन) और अन्य विधि निरसन अधिनियम द्वारा निरसित कर दिया गया था । 2001 का निरसन अधिनियम द्वारा केवल उन अधिनियमों को निरसित किया जो कतिपय राज्यों के नाम परिवर्तन के लिए थे और जिन्होंने कतिपय राज्यों की विधान परि-ाद् को समाप्त किए थे । शे-ा 78 में से एक को अप्रचलित विधि निरसन (अध्याय 4 सं. 60) पर विधि आयोग की 248वीं रिपोर्ट में पूर्णतः निरसन की सिफारिश की गई है । दो और अधिनियमों को पूरी तरह से इस अंतरिम रिपोर्ट के अध्याय 2 (सं. 71 और 72) के निरसन की सिफारिश की गई है । निम्नलिखित पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट में सूचीबद्ध शे-ा राज्य पुनर्गठन अधिनियम है जो भारत के विधि आयोग की दृ-टि से आंशिक निरसन के लिए उपयुक्त है । इस सूची में केवल उन अधिनियमों को सम्मिलित किया गया है जो 25 व-र् से अधिक समय पहले पारित किए गए थे : अधिक हाल ही के राज्य पुनर्गठन अधिनियमों को इस अध्ययन में सम्मिलित नहीं किया गया है ।

1. भाग ख राज्य (विधियां) अधिनियम, 1951 का 3
2. असम (सीमाओं का परिवर्तन) अधिनियम, 1851 का अधिनियम 47
3. आंध्र राज्य अधिनियम, 1953 का अधिनियम 30

4. अर्जित राज्यक्षेत्र (विलयन) अधिनियम, 1954 का अधिनियम 20

5. हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर (नया राज्य) अधिनियम, 1954 का अधिनियम 32

6. राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 का अधिनियम 37

7. बिहार और पश्चिमी बंगाल (राज्यक्षेत्र का अंतरण) अधिनियम, 1956 का अधिनियम 40

8. नागा पहाड़ी टयेनसंग क्षेत्र अधिनियम, 1957 का अधिनियम 42

9. राजस्थान और मध्य प्रदेश (राज्यक्षेत्र का अंतरण) अधिनियम, 1959 का अधिनियम 47

10. आंध्र प्रदेश और म्रदास (सीमाओं का अंतरण) अधिनियम, 1959 का 56

11. बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 का अधिनियम 11

12. दादरा और नगर हवेली अधिनियम, 1961 का अधिनियम 35

13. गोवा, दमन और दीव (प्रशासन) अधिनियम, 1962 का अधिनियम 1

14. नागालैंड राज्य अधिनियम, 1962 का अधिनियम 27

15. पांडिचेरी (प्रशासन) अधिनियम, 1962 का अधिनियम 49

16. पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 का अधिनियम 31

17. बिहार और उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) अधिनियम, 1968 का अधिनियम 24

18. आंध्र प्रदेश और मैसूर (राज्यक्षेत्र अंतरण) अधिनियम, 1968 का अधिनियम 36

19. असम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 का अधिनियम 55

20. हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 का अधिनियम 53

21. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 का अधिनियम 81

22. हरियाणा और उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) अधिनियम, 1978 का अधिनियम 31

23. मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986 का अधिनियम 34

24. अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986 का अधिनियम 69

25. गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 का अधिनियम 18

4.5 इन प्रत्येक कानूनों में एक ही तरह के उपबंध है जो कतिपय प्रवर्ग के भीतर आते हैं । इनमें से कुछ प्रवर्ग निरसन योग्य है जबकि अन्य को इस समय निकाला नहीं जा सकता है । अतः, इनमें से प्रत्येक प्रवर्ग का नीचे अध्ययन इस नि-कर्ा पर पहुंचने के लिए किया जा रहा है कि क्या उन्हें निरसित किया जा सकता है :

1. राज्यों का पुनर्गठन/राज्यक्षेत्रों का अंतरण/सीमाओं का परिवर्तन

प्रत्येक पुनर्गठन विधि में संविधान की अनुसूची 1 जो प्रत्येक राज्य का राज्यक्षेत्र स्थापित करती है, को संशोधित करने का उपबंध है । तथापि, अनुसूची 1 ऐसे राज्यक्षेत्र को विनिर्दि-ट नहीं करती जो विशि-ट राज्य का भाग गठित करता है । इसके बजाए यह सुसंगत राज्य पुनर्गठन अधिनियम को निर्दि-ट करता है जहां राज्यक्षेत्र के ब्यौरे है । उदाहरणार्थ, महारा-ट्र राज्य के भाग गठित करने वाले राज्यक्षेत्रों का वर्णन करने के लिए, अनुसूची यह उल्लेख करता है - 'राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 8 की उपधारा (1) में विनिर्दि-ट राज्यक्षेत्र । चूंकि संविधान की अनुसूची 1 में नए राज्यों की विरचना और उस नए राज्य की सीमाओं को विनिर्दि-ट करते हुए उपबंध राज्य पुनर्गठन अधिनियम में निर्दि-ट किए गए हैं इसलिए उपरोक्त सूचीबद्ध विधियों को निरसित नहीं किया जा सकता ।

2. उच्च न्यायालय (संबद्ध राज्य) की स्थापना

आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, गुवाहाटी, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और उत्तराखंड के उच्च न्यायालयों की स्थापना संबद्ध राज्य पुनर्गठन अधिनियमों के अधीन की गई है । यह स्प-ट है कि संबद्ध राज्य

पुनर्गठन अधिनियम के अधीन उच्च न्यायालय स्थापित करने की राज्य सरकार की शक्ति सातत्य प्रकृति की है । उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 के अधीन शक्ति का प्रयोग 2012 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा के लिए उच्च न्यायालयों की स्थापना के लिए किया गया था । अतः उच्च न्यायालय संस्थापित करने की राज्य सरकार की शक्ति प्रदान करने वाले उपबंधों को निरसित नहीं किया जा सकता ।

3. राज्यसभा में प्रतिनिधित्व

पुनर्गठन अधिनियम राज्य सभा में नव गठित राज्यों के प्रतिनिधित्व का भी उपबंध करता है और इस आश्य के लिए संविधान की अनुसूची 4 का संशोधन करता है । अनुसूची 4 में सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की सूची है और यह प्रत्येक को आबंटित सीटों की संख्या को विनिर्दि-ट करती है । अनुसूची 4 में एक बार संशोधन हो जाने पर इन उपबंधों का प्रयोजन पूरा हो जाता है । अतः, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के ऐसे उपबंधों को निरसित किया जाए ।

4. लोक सभा में सीटों का आबंटन और विधान सभा की संख्या

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (आर. पी. अधिनियम) की पहली अनुसूची लोक सभा में प्रत्येक राज्य के सीटों का आबंटन विनिर्दि-ट करती है । यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या का उल्लेख करने के साथ प्रत्येक राज्य के आबंटित सीटों की कुल संख्या का भी उल्लेख करती है । दूसरी अनुसूची में प्रत्येक राज्य की विधान सभा में सीटों की कुल संख्या का विनिर्देश है जबकि पुनः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सीटों की संख्या का उल्लेख है । लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की पहली और दूसरी अनुसूची को पुनर्गठन अधिनियमों के अनुसार संशोधित किया गया है । अतः, अधिनियमों में इन उपबंधों का प्रयोजन जो लोक सभा में सीटों के आबंटन और विधान सभा की संख्या के बारे में है, को पूरा किया गया है । राज्य पुनर्गठन अधिनियमों के संबद्ध उपबंधों को निरसित किया जा सकता है ।

5. व्यय का प्राधिकृत किया जाना

पुनर्गठन अधिनियम भी राज्य की विरचना के नियत दिन से कतिपय नियत महीनों की संख्या से अधिक की अवधि के लिए राज्य की संचित निधि से ऐसा व्यय जो आवश्यक हो, को प्राधिकृत करने के लिए रा-ट्रपति या संबद्ध राज्यों के राज्यपाल को सशक्त करता है । ये उपबंध समयबद्ध प्रकृति के थे और अब इनकी अपेक्षा नहीं है । उपयुक्त व्यावृत्ति उपबंध अंतःस्थापित करने के पश्चात् रा-ट्रपति/राज्यपाल द्वारा व्यय को प्राधिकृत किए जाने से संबंधित इन उपबंधों को निरसित किया जा सकता है ।

6. आस्तियों और दायित्वों का संविभाजन

पुनर्गठन अधिनियमों का यह भाग विद्यमान राज्यों के माल और वस्तुओं को उत्तरवर्ती राज्यों के न्यागमन का उपबंध करता है । (पुनर्गठन के) नियत दिन के ठीक पूर्व विद्यमान राज्य के सभी को-ागारों में कुल नकद अधिशे-ा और भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या किसी अन्य बैंक का प्रत्यय अधिशे-ा को जनसंख्या अनुपात के अनुसार उत्तरवर्ती राज्यों के बीच विभाजित किया जाता है । भू-राजस्व के बकाये सहित संपत्ति पर किसी कर या शुल्क की वसूली का अधिकार उस उत्तरवर्ती राज्य को जाता है जिसके राज्यक्षेत्र में संपत्ति स्थित है और किसी अन्य कर या शुल्क के बकाए की वसूली का अधिकार उस उत्तरवर्ती राज्य का है जिसके राज्यक्षेत्र में उस कर या शुल्क के निर्धारण के स्थान को सम्मिलित किया गया ।

आस्तियों और दायित्वों के संविभाजन से संबंधित राज्यों के बीच विवादों की संभावना अब भी है । अतः, इस तरह के उपबंधों को निरसित नहीं किया जा सकता है ।

7. कतिपय राज्य निगमों/बोर्डों और राज्य सेवाओं के कर्मचारी से संबंधित उपबंध

इन उपबंधों में यह उल्लेख है कि राज्य बिजली बोर्ड और भांडागार निगम उन क्षेत्रों में जहां वे पुनर्गठन के ठीक पूर्व कार्यरत थे, यथावत् कार्य करते रहेंगे । अंतर-राज्य निगम अधिनियम, 1957 अब भी प्रवृत्त है जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 109 या राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित किसी अन्य अधिनियमिति के आधार पर दो या अधिक राज्यों में कार्यरत कतिपय राज्य निगमों के पुनर्गठन का उपबंध करता है । पुनर्गठन अधिनियमों और अंतरराज्य निगम अधिनियम दोनों के उपबंध का अवलंब ऐसे विवादों को सुलझाने के लिए अब भी लिया जाता है जो दो या अधिक राज्यों में कार्यरत निगमों के संबंध में पैदा होते हैं । अतः, इन उपबंधों का निरसित नहीं किया जा सकता है ।

राज्य सेवाओं में नियोजित व्यक्तियों के संबंध में, इन अधिनियमों में यह उपबंध है कि पूर्व राज्य की सेवाओं में नियोजित व्यक्ति पुनर्गठन के पश्चात् नव गठित राज्य की सेवाओं में नियोजित हो जाएंगे । जहां तक इस खंड का संबंध है, अधिनियम का प्रयोजन पूरा हो चुका है, फिर भी, इस तरह के उपबंधों का अवलंब अब भी सेवा विवादों के निपटान में लिया जाता है और इस तरह उपबंधों के निरसन से लंबित मुकदमें प्रभावित होंगे । अतः, इन उपबंधों को निरसित नहीं किया जा सकता है ।

8. विधियों का अनुकूलन

राज्य पुनर्गठन अधिनियम पुनर्गठन के पूर्व बनाई गई किसी विधि को नव गठित राज्यों को लागू करने का भी उपबंध करता है बशर्ते समुचित सरकार विधि का ऐसा अनुकूलन और उपांतरण करे जो आवश्यक या समीचीन हो । विधियों के अनुकूलन की प्रक्रिया संबद्ध राज्य पुनर्गठन अधिनियमों में यथाविनिर्दि-ट समय की कतिपय अवधि के भीतर पूरा किया गया हो । उन पुनर्गठन अधिनियमों में जहां अनुकूलन के लिए विनिर्दि-ट समय व्यपगत हो गया हो वहां ऐसे उपबंधों का प्रयोजन पूरा हो चुका है । अतः, इन उपबंधों को उपयुक्त व्यावृत्ति खंड के साथ निरसित किया जा सकता है ।

9. विधान क्षेत्रों का परिसीमन

पुनर्गठन अधिनियमों ने संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 को संशोधित किया । 1976 के परिसीमन आदेश के स्थान पर संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आदेश, 2008 रखा गया । 2008 के परिसीमन आदेश में ऐसे राज्यक्षेत्रों का ब्यौरा है जो प्रत्येक संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के भीतर आते हैं । उक्त आदेश उपयुक्ततः संबद्ध पुनर्गठन अधिनियमों के उपबंधों को सम्मिलित करता है । हाल ही में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 का अधिनियमन तत्कालीन आंध्र प्रदेश राज्य को द्विविभाजन करके नया तेलंगाना राज्य सृजित करने के लिए कियागया । 2008 के परिसीमन आदेश को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का उपबंध करने के लिए उपयुक्त रूप से संशोधन किया गया । अतः, जहां तक निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का संबंध है, पुनर्गठन राज्यों का प्रयोजन पूरा हो चुका है ।

अतः, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से संबद्ध उपबंधों को निरसित किया जा सकता है ।

ह0/-
(न्यायमूर्ति ए. पी. शहा)
अध्यक्ष

ह0/-
(न्यायमूर्ति एस. एन. कपूर)
सदस्य

ह0/-
(प्रो. (डा.) मूलचंद शर्मा)
सदस्य

ह0/-
(न्यायमूर्ति ऊना मेहरा)
सदस्य

ह0/-
(डा. एस. एस. चाहर)
सदस्य-सचिव

ह0/-
(पी. के. मल्होत्रा)
पदेन-सदस्य

ह0/-
(डा. संजय सिंह)
पदेन सदस्य